HINDUSTAN TIMES, Delhi, 16.7.2025
Page No. 15, Size:(8.82)cms X (12.51)cms.

NHRC finds irregularities in fake Cardiologist case

After its enquiry, the National Human Rights Commission, (NHRC) India has found several irregularities in the case of a fake doctor working as a Cardiologist at Mission Hospital in Damoh, Madhya Pradesh. Accordingly, it has made several recommendations to the Government of Madhya Pradesh and the Centre seeking action taken reports within four weeks. The Commission registered the case on March 28, 2025, and conducted an enquiry, seeking reports from State authorities.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 16.7.2025
Page No. 15, Size:(8.55)cms X (14.13)cms.

NHRC Summer Internship concludes

The coveted four-week Summer Internship Programme of the National Human Rights Commission (NHRC), India, concluded in New Delhi. 80 students selected from different universities across the country for the internship were exposed to the various aspects of human rights advocacy, and the Commission's activities promoting and protecting human rights. Addressing the valedictory session, Chairperson Justice V Ramasubramanian urged the interns to prioritise human connection and kindness over material pursuits.

CUDDALORE CRASH

When a manual error exposes systemic failure

The Train-School Van Accident at Alapakkam Railway Crossing, Is A Result Of Systemic Negligence And A Textbook Case Of Composite Liability. It Demands Public Law Remedy

K Kannan

FAULT LINE: Three children and two others were killed when a passenger train smashed into a school van which was crossing a manned gate at Semmankuppam in Cuddalore district on July 8

The recent train accident at the Alapakkam railway crossing in Tamil Nadu is a heart-rending reminder of how institutional failures and human negligence can turn an ordinary day into an everlasting tragedy.

The incident in which three school-going children with their whole lives ahead of them, perished was preventable. Among others, one aspired to be a doctor, another a civil servant, dreams now cruelly extinguished due to systemic lapses. Each child killed was a universe of potential. The pain of the parents — who saw their children off to school expecting them to return — is beyond quantification. For them, the memory of that morning will never fade, and their grief will remain lifelong. When young lives are cut short due to institutional failure, the loss is not only personal but also a profound moral failure of society.

This accident, involving a school van and an oncoming train, was not an unforeseeable catastrophe brought on by fate or misfortune. It was a tragedy foretold, shaped by a chain of preventable errors and official indifference.

At the core of the tragedy is the absence of a vital safety system — interlocking mechanisms. These ensure that a train cannot proceed through a level crossing unless the gate has been shut and locked. It was not done at the Alapakkam crossing, which directly contributed to the fatal sequence of events. This is criminal negligence, committed by someone entrusted with protecting lives.

This is a textbook case of composite negligence in tort law, where multiple parties contribute to a single harmful outcome. Each is liable both jointly and individually.

The Indian Railways, a public authority and employer of the negligent staff, must bear vicarious liability. Institutions are accountable not only for what they do but for what they fail to prevent when due diligence could have averted disaster. This tragedy is not just about one individual's misconduct but also about the absence of a supervisory mechanism that could have caught or corrected such dereliction.

The school authorities also failed in their duty of care. Reports confirm that the van was operating without a conductor, who could have stepped out to check if the crossing was safe. Such checks are basic safety protocol. The absence of trained personnel on a school vehicle constitutes a grave lapse and makes the school administration jointly liable with the railway authorities.

The compensation announced so far underscores another layer of the problem. The state govt has committed ₹5 lakh to each family. The railways, under the no-fault liability scheme, must pay ₹8 lakh. But what does ₹13 lakh mean to parents who have lost a child? No sum can be 'adequate', but compensation must be at least symbolic of the value we place on life and a sign of institutional responsibility. Currently, it falls far short.

This case should not be resolved purely through civil suits or insurance claims. This is a fit case for a public law remedy, under Article 21 of the Constitution — the right to life. The Supreme Court, in judgments such as Nilabati Behera vs State of Orissa and Rudul Sah vs State of Bihar, has held that monetary compensation must be paid by the state for the violation of fundamental rights when death or injury occurs due to state inaction or neglect. The high court should entertain a public interest litigation or even act suo motu to direct the payment of at least ₹1 crore per victim. This would reflect the state's acknowledgment of its failure and its resolve to act with moral seriousness.

The Alapakkam tragedy must serve as a catalyst for reform. There are thousands of unmanned or poorly managed railway crossings across India. The installation of interlocking systems and sensor-based warnings should be non-negotiable, not subject to budgetary whims or bureaucratic lethargy.

Safety upgrades are often deferred in favour of other capital projects. But the cost of delay is not just fiscal — it is paid in lives. We need a zero-tolerance policy for safety oversight, especially where children are involved.

The current compensation structure under the Railway Claims Tribunal Act is inadequate. The ₹8 lakh figure has remained stagnant and does not reflect the real socio-economic value of a lost life. Compensation must be indexed to inflation and must reflect a minimum threshold of decency in catastrophic events caused by public authorities.

Moreover, the claims process is cumbersome. Victims' families are often left to navigate a bureaucratic maze in their grief. Automatic, time-bound payouts must replace litigation-heavy mechanisms.

Educational institutions must not be exempt from scrutiny. Every school transport vehicle must have a driver and an attendant and undergo regular inspections. The district education officer and transport commissioner must be empowered to conduct safety audits, with penalties including withdrawal of school licenses for repeat violations.

The Alapakkam tragedy will likely disappear from the headlines in a week or two. But for the families, the pain will remain eternal. We cannot be a society that moves on without demanding accountability. Let these children not become just another statistic. Let their memory become the foundation upon which a safer, more humane system is built.

(The writer was a judge of the Punjab & Haryana high court and chairman of the national railway claims tribunal in New Delhi)

Email your feedback with name and address to southpole.toi@timesofindia.com

TELEGRAPH, Kolkata, 16.7.2025
Page No. 4, Size:(4.99)cms X (12.69)cms.

Relief after deletion of PM caricature, apology

SC shields cartoonist from arrest

OUR BUREAU

New Delhi: The Supreme Court on Tuesday granted anticipatory bail to cartoonist Hemant Malviya, accused of drawing "objectionable" caricatures of Prime Minister Narendra Modi, RSS workers and Lord Shiva, as it hinted at issuing orders to curb rising instances of misuse of freedom of speech and expression.

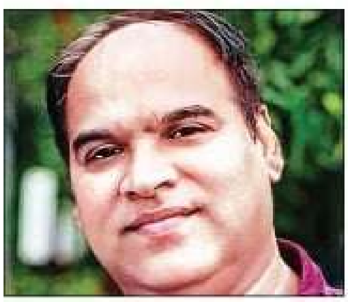

Hemant Malviya

"We will have to do something in this regard. This is too much and going too far. People these days say anything to anyone," a bench of Justices Sudhanshu Dhulia and Aravind Kumar observed.

The top court granted Malviya interim protection from coercive action in connection with an FIR in Madhya Pradesh after his counsel Vrinda Grover said an apology had been tendered.

Grover also informed the court that the cartoonist had deleted the controversial posts.

The bench, however, cautioned that if the cartoonist continued to post or share any offensive posts on social media, the respondent state was free to take action against him under the law.

Additional solicitor-general K.M. Natraj, appearing for the Madhya Pradesh government, argued that the cartoonist was not entitled to any "indulgence" (relief) as he had hurt religious sentiments through his action.

The top court, however, adjourned the matter for four weeks.

On Monday, the bench had termed Malviya's caricatures "inflammatory", adding that no citizen should abuse the freedom of speech and expression in such a manner.

Malviya had filed the special leave petition against Madhya Pradesh High Court's July 3 order dismissing his anticipatory bail application on the ground that he was not entitled to the protection of Section 41-A of the CrPC/ Section 35 of the BNSS and safeguards enunciated in the Supreme Court's judgment in the Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) case.

NEW INDIAN EXPRESS, Chennai, 16.7.2025
Page No. 7, Size:(24.90)cms X (18.20)cms.

Make jails disabled-friendly, file report within six months, SC tells state govt

SUCHITRA KALYAN MOHANTY
@ New Delhi

THE Supreme Court on Tuesday directed the Tamil Nadu government to equip all prisons with disability-friendly infrastructure, including accessible toilets, ramps and support facilities, to safeguard the rights and dignity of prisoners with disabilities.

A bench of Justices J B Pardiwala and R Mahadevan said the denial of accessibility and essential care to such inmates violates their fundamental rights under Articles 14 (right to equality) and 21 (right to life and liberty) of the Constitution.

The court was hearing a petition filed by L Muruganantham, a physically disabled advocate, who alleged custodial abuse and inadequate medical care during his incarceration in Tamil Nadu.

The judges said most prisons remain structurally inaccessible to individuals with mobility, sensory or cognitive impairments, and noted that social and structural barriers faced by persons with disabilities are only magnified within custodial settings.

The bench directed the State to amend the Tamil Nadu Prison Manual within six months to ensure compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

Stressing that the State has a constitutional and moral obligation to uphold the rights of prisoners with disabilities, the court said this includes not just protection from discrimination but also an affirmative duty to enable rehabilitation and reintegration into society.

"In the absence of trained caregivers or custodial policies, prisoners are often denied assistance with essential daily activities such as bathing, dressing and eating. This neglect results in indignity, mental distress and, at times, serious physical harm," the bench noted.

EXPRESS ILLUSTRATION

SUPREME COURT DIRECTIONS

- Prisons must identify inmates with disabilities at admission and allow them to declare their specific needs
- Rules and essential information must be provided in accessible formats like Braille, large print, sign language, or simplified language
- Designated spaces for physiotherapy, psychotherapy, and other therapies must be maintained
- A state-level access audit of all prisons in Tamil Nadu must be completed within six months by an expert committee

Disability not a ground for job rejection, says HC

Madurai: The Madurai Bench of the Madras HC ruled that disability alone cannot be grounds for job rejection unless it hinders duty performance. Justice Vivek Kumar Singh made the observation while allowing a plea by R Balamurugan, whose CAPF constable application was rejected over a polydactyl thumb. The court noted the deformity didn't affect his job efficiency and directed a re-examination. It emphasised that govt bodies must adopt a humanitarian approach and consider candidates with minor deformities if they do not significantly impair job responsibilities. ENS

NEW INDIAN EXPRESS, Chennai, 16.7.2025
Page No. 6, Size:(24.90)cms X (9.70)cms.

Ajith death: Custody of 5 cops extended

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Sivaganga

THE Judicial Magistrate of Thirupuvanam, R Venkadesh Prasanth, on Tuesday extended the judicial custody of five police personnel, who were arrested in connection with the alleged custodial death of B Ajithkumar, for 15 more days before adjourning the case.

On the night of June 30, the Thirupuvanam police arrested head constable S Raja (36) of Malavarayanenthal, constable A Anand (38) of Thirupuvanam, constable S Sankaramanikandan (36) of Manamadurai, constable G Prabhu (42) of Puthupatti and head constable G Kannan (47) of Paraikkulam in connection with Ajithkumar's death. In the early hours of July 1, Judicial Magistrate Prasanth sent them to judicial custody for 15 days.

As their custody period ended on Tuesday, the five policemen appeared before the court via videoconferencing, during which the judge extended their custody until July 29. Meanwhile, two more videos, purportedly related to the custodial death case, have emerged.

DSP Mohit Kumar held inquiries with inspector Sureshkumar | KK SUNDAR

One video shows Ajithkumar's brother B Naveenkumar being taken for questioning by policemen in plainclothes. The second video records conversation among family members and local political functionaries following Ajithkumar's death.

Meanwhile, the CBI team led by DSP Mohit Kumar continued its investigation into the custodial death case for the second day on Tuesday. The team held inquiries with Thirupuvanam inspector Sureshkumar.

HITAVADA, Bhopal, 16.7.2025
Page No. 9, Size:(24.90)cms X (16.62)cms.

MPHRC's summer internship program concludes

■ **Staff Reporter**

MADHYA Pradesh Human Rights Commission's one-month summer internship program successfully concluded on July 15, after running from June 16. A total of 36 students from prestigious law institutions across the country participated in the program.

The commission's Acting Chairperson, Rajiv Kumar Tandon, inaugurated the program on June 17. During the internship, students received intensive training from experts on various subjects including human rights, the commission's functioning, arrest laws, cybercrime, AI, health, and the human rights of police and prisoners.

For practical experience, the students visited various institutions such as police stations, juvenile correctional homes, the forensic department of AIIMS, the National Judicial Academy, and the Central Jail.

MP Human Rights Commission concludes internship; students awarded certificates on July 15.

At the closing ceremony, certificates were awarded to all 36 successful interns.

Former CBI Director Rishi Kumar Shukla attended as the Chief Guest and extended his best wishes to the students for a bright future. The students expressed their gratitude for the cooperation received from the commission's officers and staff.

SC calls for norms on freedom of speech, expression

NEW DELHI, DHNS

The Supreme Court on Tuesday said that Article 19 deals with freedom of speech and expression and cannot overpower Article 21 of the Constitution, which provides the right to life and liberty.

A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi asked Attorney General R Venkataramani, appearing for the Centre, to prepare social media guidelines while balancing the freedom of speech and expression with the rights and duties of others.

The court said that the freedom of one person should not violate the rights of others, observing that the enforceability of guidelines was the most difficult part.

The SC was dealing with a case in which five social media influencers, including India's Got Talent host Samay Raina, accused of ridiculing persons with disabilities, appeared before it.

"There are many free advisors in the market. Ignore them. The guidelines should conform to constitutional principles that balance freedom with the rights and duties of a person. We will have an open debate on such guidelines. Let all members of the bar and stakeholders, including the so-called stakeholders, share their viewpoints," the bench said.

It also emphasised that the right to dignity emanates from the very right that another person may be claiming.

"Article 19 can't overpower Article 21. Suppose a race takes place between Article 19 and 21. Article 21 has to trump Article 19," the SC said.

Venkataramani sought time to assist the court on the issue and said the enforceability of guidelines would require detailed consideration.

The court asked the social media influencers to file their replies within two weeks in response to the petition filed by the NGO, M/s Cure SMA Foundation.

Regarding the guidelines, the SC told the counsel, "What we are doing is for posterity. You must ensure that not a single word is misused by anyone. You must ensure balance. We have to protect citizens' rights. A framework must be in place to ensure that the dignity of anyone is not violated."

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDU, Bengaluru, 16.7.2025
Page No. 10, Size:(14.99)cms X (15.50)cms.

The issue with criminalising all adolescent relationships

Swagata Raha

is a legal researcher on child protection

Anindita Pattanayak

is a legal researcher on child protection

The Supreme Court of India's sentencing judgment in *Re: Right to Privacy of Adolescents* (May 2025) is a remarkable example of the Court revisiting its stance by prioritising the voice of the young person most impacted by the criminal case initiated for her protection.

The Court exercised its extraordinary jurisdiction, under Article 142 of the Constitution, and did not impose any sentence on a young man convicted of aggravated penetrative sexual assault under Section 6, Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. The case involved a 14-year-old girl from rural West Bengal who left her home to be with a 25-year-old man. The criminal justice system was set in motion by her mother. Although she stayed in a shelter and was restored to her mother, she left again to be with the man due to stigma, humiliation, and surveillance from her family. They got married and had a child in 2021 – when the girl was 17. He was arrested subsequently and tried for kidnapping, rape, aggravated penetrative sexual assault, and child marriage.

Despite noting the helplessness of the girl in court, with the child on her lap, the POCSO Special Court was constrained by stringent legal provisions and sentenced the accused to 20 years imprisonment.

In 2022, during the appeal, the Calcutta High Court recognised her distress – cut-off by her family and left to care for the baby and a mother-in-law with cancer, while fighting for the release of her partner. It noted the socio-economic background of the couple who did not understand that their relationship constituted an offence. Taking a "humane view of the matter to do complete justice" the High Court reversed the lower court's conviction. While noting that "the approach adopted under the POCSO Act renders adolescents vulnerable to criminal prosecutions for normative sexual behaviour," the High Court also made several problematic comments. including one that female adolescents should "control sexual urge/urges as in the eyes of society she is the looser [sic] when she gives in to enjoy the sexual pleasure of hardly two minutes".

Top court's intervention

Following media outrage over these remarks, the Supreme Court, in December 2023 took up the matter *suo motu* in *Re: the Right to Privacy of Adolescents*. It restored the accused's conviction and rejected the concepts of "non-exploitative" sexual acts with a minor aged 14 years, and the category of "older adolescents". Incidentally, both these concepts are recognised in international human rights law and medical parlance, respectively. General Comment No. 20 by the Committee on the Rights of the Child under the UNCRC, exhorts States to "avoid criminalizing adolescents of similar ages for factually consensual and non-exploitative sexual activity".

> The POCSO Act's blanket assumption that all sexual acts involving adolescents are inherently exploitative needs to be revisited

Before finalising the sentence, in August 2024, the Court took a step, befitting the case's complexity, by directing the state to appoint an expert committee comprising a clinical psychologist, a social scientist, and a child welfare officer to ascertain whether the "victim" – now an adult – wanted to continue living with the accused or preferred to accept benefits offered by the State Government. The committee's report and the Court's interaction with the woman revealed the heavy emotional and financial toll that the legal battle had had on the family and the "collective failure of the systems" in protecting her.

The Court recognised the profound irony at the heart of this case. The young woman had spent her sparse resources fighting for the perpetrator's release, falling into debt and moving from court to court in desperate attempts to reunite with her family. It concluded that "sadly, true justice lies in not sentencing the accused to undergo imprisonment", adding that "if we send the accused to jail, the worst sufferer will be the victim herself."

Both the High Court and Supreme Court barred their cases from being treated as precedent, with the top court describing this as an "extraordinary" case. However, empirical studies suggest that adolescent relationships, especially above 16 years, is not extraordinary but a common reality. An Enfold study of 1,715 "romantic cases" showed that out of 7,064 POCSO judgments in Assam, Maharashtra and West Bengal between 2016 to 2020, 24.3% involved romantic relationships, with 82% of victims in such cases refusing to testify against the accused. Another study by Enfold and P39A on judicial trends in 264 cases under Section 6, POCSO Act from these States found that 25.4% involved consensual relationships.

Various High Courts have emphasised that criminalising consensual sex was never the objective of the POCSO Act, while scientific studies confirm that sexual exploration is normal for older adolescents. However, recently the Bombay High Court in *Aakash Waghmare vs State of Maharashtra* (2025) refused to quash a case involving a consensual relationship, by stating that such petitions should wait until the government considers the suggestion of decriminalisation of adolescent sexual relationships under POCSO Act. This judicial reluctance reveals the limitations of case-by-case exceptions and the urgent need for structural reform.

The system that continues to fail

With remarkable candour, the Supreme Court acknowledged, "This case is an illustration of the complete failure of our society and our legal system." Community humiliation, family abandonment, paternalistic judicial language, absent child protection systems, corrupt legal practices and sensationalist media coverage contributed to her seven-year ordeal. However, the Court's assumption that implementation of the rehabilitative provisions under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 by the Child Welfare Committee would ensure that "no victim will face the situation which the victim in the case had to face", belies the experience of many adolescent girls, who routinely endure institutionalisation, humiliation and the deprivation of liberty in such cases.

A victim, but of what?

As the law sets the age of consent at 18 – a development from 2012 before which it was 16 – the Supreme Court, in its initial judgment, did not envisage any non-exploitative consensual relationship involving an adolescent. The Supreme Court dismissed the observation of the Calcutta High Court that "the law undermines the identity of adolescent girls by casting them as victims, thereby rendering them voiceless", as "shocking", indicating a paternalistic approach unable to imagine such adolescents as anything but victims.

However, the expert Committee report emphatically stated that "the law saw it as a crime, the victim did not... the legal crime did not cause any trauma on this particular victim. It was the consequences thereafter". Her trauma stemmed not from the relationship itself but from police involvement, court proceedings, and her struggle to secure her partner's release while raising a child alone.

This case exposes the fundamental tensions within the POCSO Act and ground realities of adolescent sexuality. The girl's consent was undeniably flawed, given her age, poverty, lack of a supportive environment and the cultural acceptability of child marriage, a lack of opportunities, and exposure and life choices beyond marriage. Nevertheless, it exemplifies the need to re-examine the blanket approach under the POCSO Act and its assumption that all sexual acts involving adolescents are inherently exploitative.

Young people who choose to marry early are often asserting their agency through the very limited options available within patriarchal structures. While consent may be flawed in such cases, it is crucial to interrogate state responses and whether they are support-oriented, shape the ability to exercise choice, and expand options. True justice requires moving beyond criminalising all adolescent relationships. Instead it must recognise consent of those above 16 years with conditions in which consent will be invalid such as coercion, and sexual relationships with persons in positions of trust and authority. It also necessitates addressing the root causes of underage elopements and power imbalances in intimate relationships. The Court's direction to the central government to consider measures for comprehensive sexuality education, life-skills training, emergency assistance, counselling services and comprehensive data collection on these interventions, is a step in this direction.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDU, Chennai, 16.7.2025
Page No. 13, Size:(7.14)cms X (12.04)cms.

Opposition calls for Odisha bandh after student's death, says the 'system failed her'

Satyasundar Barik
BHUBANESWAR

The Congress-led Opposition has called for an Odisha bandh on Thursday, as grief and outrage poured in from all quarters over the death of a student who had set herself on fire after her complaint against a teacher accused of alleged harassment was ignored on the campus of a college in Balasore.

Taking to the social media platform 'X' early on Tuesday, Congress leader Rahul Gandhi said the death of a daughter seeking justice in Odisha amounted to murder by the Bharatiya Janata Party-led system.

The courageous student spoke out against sexual harassment, he said, but instead of receiving justice, she was met with threats, harassment, and relentless humiliation.

Outpouring of grief: Women activists holding a candlelight vigil in Bhubaneswar for the student. BISWARANJAN ROUT

'Accused shielded'

"Those who were supposed to protect her were the ones who broke her spirit. As always, the BJP system shielded the accused – and pushed an innocent girl to the point where she set herself on fire. This is not suicide; it is a murder orchestrated by the system," he said.

He questioned the "silence" of Prime Minister Narendra Modi, saying whether it was Odisha or Manipur, daughters of the country were burning, breaking down, and dying. "The country doesn't need your silence – it needs answers. India's daughters need protection and justice," Mr. Gandhi said.

Odisha Governor Hari Babu Kambhampati said he was shattered to learn of the untimely loss of a young student.

"Her passing is not just a tragedy – it is a stark reminder of the urgent need to safeguard our campuses. The law will take its toughest course. Those responsible will face uncompromising punishment," he said.

Earlier, Odisha Pradesh Congress Committee President Bhakta Charan Das, along with leaders of Left parties, held a press conference and expressed their deep anguish over the death of the girl.

"We have called for an Odisha bandh on July 17 demanding judicial inquiry and safety of women," said Suresh Panigrahi, State secretary of the Communist Party of India (Marxist).

UGC probe

Meanwhile, the University Grant Commission has constituted a four-member fact-finding committee to look into case.

The committee would examine the circumstances surrounding the incidence, grievance redressal mechanism, anti-harassment measures adopted and student support systems.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 16.7.2025
Page No. 7, Size:(4.72)cms X (10.40)cms.

Court seeks digital evidence in Thane POCSO case

Pranali Lotlikar
MUMBAI

A special court in Thane hearing a Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act case has directed the investigating officer (IO) to conduct further investigation to retrieve digital evidence. The case involves a tutor accused of sexually harassing two female students.

The complainant in her complaint had alleged that critical aspects of the investigation were overlooked by the police, including failure to obtain CCTV footage, omission of crucial witness statements, and not taking action against a person who was reportedly informed of the incident but failed to report it.

According to the complainant, Suraj Yadav, who was informed about the alleged harassment, should have been made a co-accused under Sections 19 and 21 of the POCSO Act for not informing the police. It was further alleged that the investigating officer failed to record statements of two students who were identified as key witnesses, and that no separate charge-sheet had been filed in the case of the second victim, who also accused the tutor of stalking and harassment via Instagram.

The complainant also questioned the authenticity of a partnership deed submitted by the accused, calling it a forged and fabricated document created as an afterthought.

In response, the investigating officer argued that Suraj Yadav had no personal knowledge of the incident and therefore could not be held liable under POCSO provisions. The IO further maintained that the mobile chats had already been seized and showed no tampering, and that CCTV footage from outside the premises had yielded no useful information. The IO claimed that there were no cameras installed inside the classes, contrary to the complainant's claims of 48 cameras on site.

After hearing both sides, the court noted that the incident took place within a tuition class where the accused worked as a teacher and directed the IO to collect all digital evidence from the location and surrounding areas.

As per the prosecution's case, tutor Nitin Saxena is accused of using threats to compel a juvenile to send photographs of a 14-year-old victim to his phone, subsequently harassing her.

KASHMIR READER, Srinagar, 16.7.2025
Page No. 4, Size:(8.73)cms X (11.59)cms.

The Silent Cries Of Innocence: Addressing The Plight Of Child Labourers Around Us

Behind the physical scars lie deeper societal failures; it's time for all of us—officials, parents, citizens—to recognise our collective responsibility and end child exploitation

Dr Fazal Wani
wanifazal@gmail.com

Behind the daily hustle and bustle of life, amidst construction sites and dusty roads, lies a painful reality that often goes unnoticed: little children, some barely in their teens, toil with bricks and cement, their fragile bodies burdened with the weight of survival.

As a medical officer, I witness this firsthand in my OPD. These children come to me with cement-burned skin, open wounds, and hands that are cracked like old, dry earth. Their bodies are bruised, but what pains me more is their gaze, tired, empty, and distant as if someone snatched their childhood right from their eyes.

When I see the cracks on their hands and the emptiness in their young eyes, my heart chokes. I often struggle to hold my emotions. Sometimes, I have to pause between writing a prescription or dressing a wound just to swallow the lump in my throat. It's not just the physical injuries I'm tending to. I feel like I'm staring into wounds, society has inflicted upon innocence. I return home thinking about them. I sit alone and ask myself: Why is this happening right in front of us? Why is no one asking questions?

Child Labour Is Illegal, So Why Does It Still Exist?

The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act clearly states that employing children in hazardous work is a punishable offence. Yet, the law is violated every day in front of our eyes. Children are used as cheap, voiceless labour exposed to unsafe conditions, denied education, and robbed of their innocence.

And this makes me wonder and question myself: Why are so many people silent? Why are the authorities not seeing this? Are the Councillors, Tehsildars, Police officers, Teachers, and government officials unaware of these children working in plain sight? Do they never pause to question even once?

Responsibility Is Not Limited to One Profession

As a doctor, I have a responsibility when these children come to me. But this responsibility doesn't stop at the hospital door. It extends to everyone: In the market, as a citizen. In schools, as teachers. In offices, as administrators. And on the street, as fellow human beings. Remaining silent is a form of participation in this injustice. These children are being failed not just by those who exploit them, but by all of us who look the other way.

Parents Must Be Held Accountable Too

Many of these children are sent into labour by their own families. Parents, driven by poverty or negligence, allow or even force their children into work instead of school. This is not only a legal failure but a moral one. No amount of poverty can justify stealing a child's right to education, safety, and a childhood. As a society, we must also hold parents accountable, not just employers.

A Final Appeal

I can treat their wounds. But who will heal their lost childhood? Each scar, each cracked palm, is not just a mark of hard work; it is a symbol of society's failure. Let's ask ourselves honestly: If I see a child working and do nothing, am I not part of the problem? Let's rise above silence and indifference. Let's speak up. Because when a child is forced to work, it is not only their future that is stolen, it is our collective humanity that is wounded.

The writer is a Medical Officer at PHC Shargole

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TIMES OF INDIA, Delhi, 16.7.2025
Page No. 14, Size:(8.73)cms X (8.69)cms.

STATOISTICS A slice of life in numbers

More than 10,000 Indians languishing in foreign jails

While Yemen has deferred the execution of **Indian nurse Nimisha Priya,** there are thousands of Indians languishing in foreign jails. Most of these people are jailed in west Asian countries.

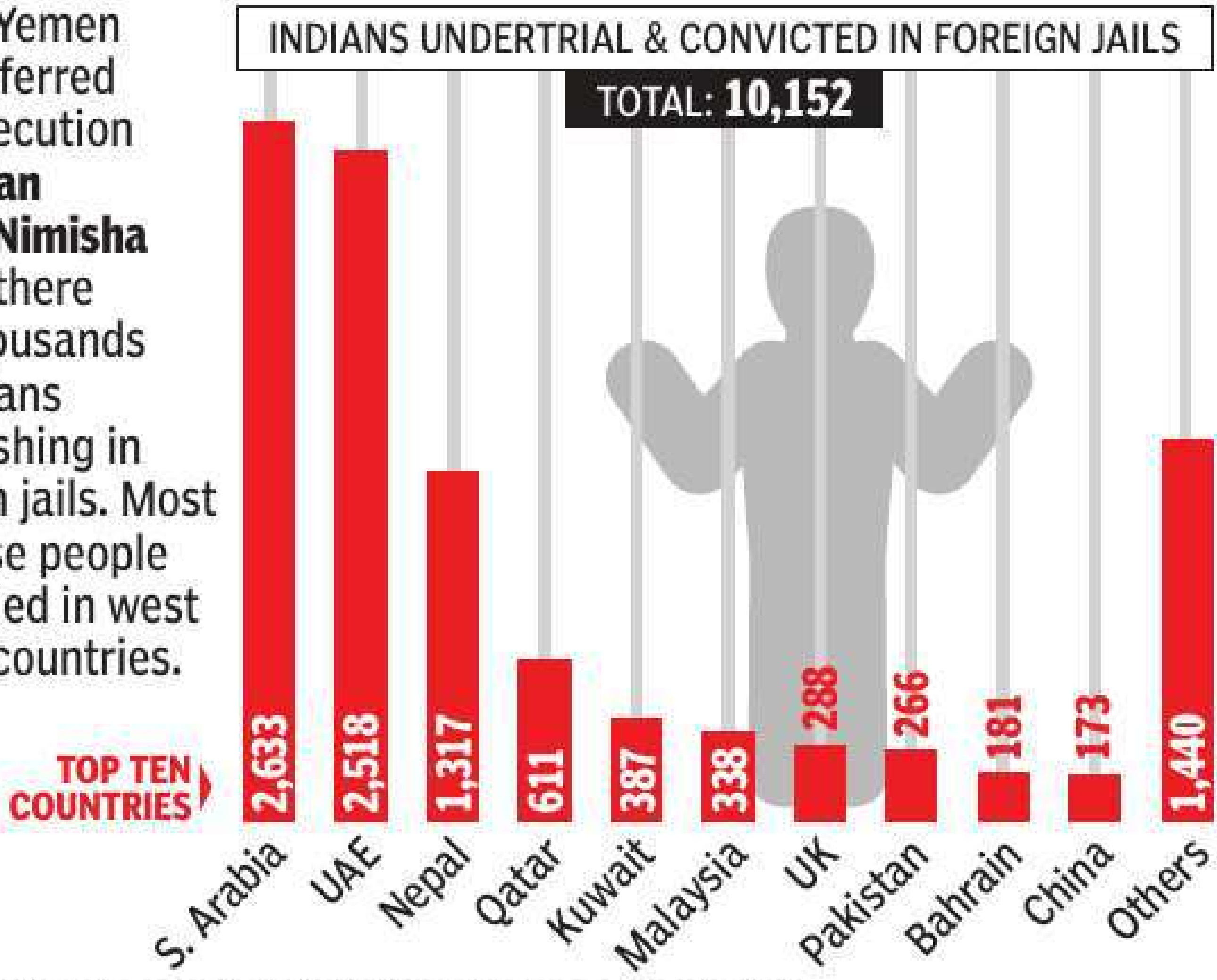

Source: Ministry of External Affairs. Data as on March 2025

दिव्यांग कर्मी से बिल भुगतान के बदले लिए पांच हजार रुपये, बाबू गिरफ्तार

एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन के आरोपित बाबू पर कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, कानपुर : विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में स्थापना पटल के बाबू ने रिश्वत लेने में दिव्यांग महिला सफाईकर्मी को भी नहीं छोड़ा। महिला सफाई कर्मी से चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के 45,518 रुपये के बिल का भुगतान कराने के लिए पांच हजार रुपये मांगे। महिला ने उसे कार्यालय से बाहर बुलाकर जैसे ही रुपये दिए, एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। उसे नवाबगंज थाने ले जाया गया, जहां एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है।

बर्रा के गुंजन विहार निवासी दिव्यांग प्रमिला यादव विकास भवन के जिला पंचायती राज विभाग अंतर्गत बिधनू ब्लाक के दलेलपुरवा में सफाई कर्मी हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के बिल का भुगतान होना था लेकिन विभाग के स्थापना पटल के बाबू व पत्रकारपुरम निवासी राजीव चंद्रा काफी दिनों से टरका रहे थे। कारण पूछने पर कहा कि बिल पास कराने के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे। उन्हें अपनी आर्थिक समस्या बताई लेकिन उन्होंने पांच हजार रुपये दिना बिना भुगतान न होने की बात कही। इस पर प्रमिला ने एंटी करप्शन के अधिकारी से शिकायत की। एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि राजीव चंद्रा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पांच-पांच सौ के 10 नोटों पर केमिकल लगाकर पीड़िता को दिए। इसके बाद वह आरोपित के कार्यालय के बाहर पहुंचीं, जहां आसपास उनकी टीम भी लग गई। प्रमिला ने राजीव को फोन कर रुपये देने के लिए बाहर बुलाया। वह कार्यालय से उतरकर नीचे परिसर में बनी कैंटीन में पहुंचा। पीड़िता ने जैसे ही पांच हजार रुपये दिए, एंटी करप्शन की टीम ने राजीव को दबोच लिया। इसके बाद टीम उसे नवाबगंज थाने ले गई। एंटी करप्शन टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसे बुधवार को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पीड़िता ने सिर खुजाकर एंटी करप्शन टीम को किया इशारा

रिश्वत लेते पकड़ा गया बाबू राजीव चंद्रा ● एंटी करप्शन

पीड़िता दोपहर करीब एक बजे विकास भवन में आरोपित बाबू के कार्यालय पहुंची तो उसने वहां भीड़ ज्यादा होने के चलते परिसर में ही आशा ज्योति कैंटीन के पास मिलने को कहा। करीब आधे घंटे बाद आरोपित कैंटीन पहुंचा। सिगरेट पी और फिर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद किसी से फोन पर बात करते हुए एक किनारे आया और पीड़िता से रुपये देने का इशारा किया। पीड़िता ने रुपये देते समय सिर खुजाकर एंटी करप्शन टीम को इशारा कर दिया। इशारा देख एंटी करप्शन टीम ने आरोपित को दबोच लिया। वहीं, इस घटना को लेकर दिनभर विकास भवन में चर्चा होती रही।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Kanpur, 16.7.2025
Page No. 1, Size:(8.15)cms X (10.31)cms.

दिव्यांग कर्मी से बिल भुगतान के बदले लिए पांच हजार रुपये, बाबू गिरफ्तार

एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन के आरोपित बाबू पर कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, कानपुर : विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में स्थापना पटल के बाबू ने रिश्वत लेने में दिव्यांग महिला सफाईकर्मी को भी नहीं छोड़ा। महिला सफाई कर्मी से चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के 45,518 रुपये के बिल का भुगतान कराने के लिए पांच हजार रुपये मांगे। महिला ने उसे कार्यालय से बाहर बुलाकर जैसे ही रुपये दिए, एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। उसे नवाबगंज थाने ले जाया गया, जहां एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है।

बर्रा के गुंजन विहार निवासी दिव्यांग प्रमिला यादव विकास भवन के जिला पंचायती राज विभाग अंतर्गत बिधनू ब्लाक के दलेलपुरवा में सफाई कर्मी हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के बिल का भुगतान होना था लेकिन विभाग के स्थापना पटल के बाबू व पत्रकारपुरम निवासी राजीव चंद्रा काफी दिनों से टरका रहे थे। कारण पूछने पर कहा कि बिल पास कराने के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे। उन्हें अपनी आर्थिक समस्या बताई लेकिन उन्होंने पांच हजार रुपये दिना बिना भुगतान न होने की बात कही। इस पर प्रमिला ने एंटी करप्शन के अधिकारी से शिकायत की। एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि राजीव चंद्रा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पांच-पांच सौ के 10 नोटों पर केमिकल लगाकर पीड़िता को दिए। इसके बाद वह आरोपित के कार्यालय के बाहर पहुंचीं, जहां आसपास उनकी टीम भी लग गई। प्रमिला ने राजीव को फोन कर रुपये देने के लिए बाहर बुलाया। वह कार्यालय से उतरकर नीचे परिसर में बनी कैंटीन में पहुंचा। पीड़िता ने जैसे ही पांच हजार रुपये दिए, एंटी करप्शन की टीम ने राजीव को दबोच लिया। इसके बाद टीम उसे नवाबगंज थाने ले गई। एंटी करप्शन टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसे बुधवार को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पीड़िता ने सिर खुजाकर एंटी करप्शन टीम को किया इशारा

रिश्वत लेते पकड़ा गया बाबू राजीव चंद्रा ● एंटी करप्शन

पीड़िता दोपहर करीब एक बजे विकास भवन में आरोपित बाबू के कार्यालय पहुंची तो उसने वहां भीड़ ज्यादा होने के चलते परिसर में ही आशा ज्योति कैंटीन के पास मिलने को कहा। करीब आधे घंटे बाद आरोपित कैंटीन पहुंचा। सिगरेट पी और फिर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद किसी से फोन पर बात करते हुए एक किनारे आया और पीड़िता से रुपये देने का इशारा किया। पीड़िता ने रुपये देते समय सिर खुजाकर एंटी करप्शन टीम को इशारा कर दिया। इशारा देख एंटी करप्शन टीम ने आरोपित को दबोच लिया। वहीं, इस घटना को लेकर दिनभर विकास भवन में चर्चा होती रही।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Lucknow, 16.7.2025
Page No. 8, Size:(18.39)cms X (18.14)cms.

पुलिस की पिटाई से आहत युवक ने पैंट पर सुसाइड नोट लिखकर दे दी जान

दो सिपाहियों समेत पांच पर मुकदमा, दोनों सिपाही लाइन हाजिर

जासं, फर्रुखाबाद: हथियापुर चौकी में पुलिस की पिटाई से आहत युवक ने सोमवार रात फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजन का आरोप है कि घरेलू कलह में पत्नी की शिकायत पर पुलिस युवक व उसके पिता को चौकी ले गई, जहां पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज कर युवक की पिटाई की। छोड़ने के एवज में 40 हजार रुपये रिश्वत भी ली। इससे आहत होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने अपनी पैंट पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें ससुरालीजन सहित एक जनप्रतिनिधि के करीबी व दो सिपाहियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। मामले में दो सिपाहियों सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर भी कर दिया है।

पैंट पर लिखा सुसाइड नोट ● जागरण

थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव छेदा नगला निवासी 25 वर्षीय दिलीप राजपूत ने सोमवार रात अपने कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मंगलवार तड़के स्वजन खेत पर काम करने चले गए। बड़े भाई प्रदीप की पत्नी विनीता घर लौटीं तो दिलीप कमरे से नहीं निकले। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो शव लटका देखा। पिता राम रहीश ने बताया कि दिलीप की पत्नी नीरज दो दिन पहले झगड़ा कर मायके चली गई थी। नीरज की शिकायत पर सोमवार दोपहर बाद हथियापुर चौकी पुलिस ने दिलीप व उसे चौकी बुलाया। इस दौरान दिलीप से मारपीट की गई। शाम को पुलिस कर्मियों ने 40 हजार रुपये लिए और नीरज से समझौता लिखवाकर दिलीप को छोड़ दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी गाली-गलौज की। इसी से आहत होकर दिलीप ने खुदकुशी की है। एएसपी ने बताया कि मुकदमे में सिपाही महेश उपाध्याय, यशवंत, दिलीप के ससुर बनवारी लाल राजपूत, साले राजू राजपूत और थाना जहानगंज के गांव आलूपुर निवासी रजनेश राजपूत को नामजद किया गया है। एसपी आरती सिंह ने आरोपित दोनों सिपाहियों को लाइनहाजिर कर दिया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Gorakhpur, 16.7.2025
Page No. 6, Size:(16.88)cms X (11.36)cms.

नौकरी, शादी की आड़ में हो रहा मानव तस्करी का धंधा

सतीश पांडेय ● जागरण

- अजमेर, पूर्णिया और बेतिया बना तस्करी का केंद्र, गोरखपुर बन रहा आपूर्ति ठिकाना
- मदद का भरोसा, इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती कर दलदल में धकेली जा रहीं लड़कियां

गोरखपुरः शादी, नौकरी और बेहतर भविष्य का वादा... उसके बाद एक नाबालिग या युवती का गायब हो जाना। अगले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में जब वह किसी ट्रक ड्राइवर की पत्नी, किसी होटल में बंधक या आर्केस्ट्रा की कलाकार बनकर सामने आती है, तब परिवार टूट चुका होता है... और एक लड़की का बचपन, भविष्य, अस्तित्व सब कुछ बिक चुका होता है।

गोरखपुर मानव तस्करी नेटवर्क का 'हब' बनता जा रहा है। घटनाएं बताती हैं कि नाबालिग, युवतियां और महिलाओं को बिहार, हरियाणा, राजस्थान तक ले जाकर बेचा जा रहा है। पुलिस ने अब तक कई गिरोहों के कनेक्शन उजागर किए हैं, लेकिन इस व्यापार की जड़ें बहुत गहरी हैं। पुलिस जांच में पर्दाफाश हुआ है कि मानव तस्करी का नेटवर्क सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। लड़कियों को इंस्टाग्राम, जान-पहचान या रिश्तेदारी के जरिये निशाना बनाया जाता है। छह माह पहले शाहपुर के होटल व हुक्का बार में नाबालिगों को नशा देकर देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस केस में चार होटल संचालकों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। मोबाइल चैटिंग की जांच में सैकड़ों ग्राहकों के नंबर मिले, जो आनलाइन पेमेंट के जरिये लड़कियों को "बुक" करते थे। इस गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने की तैयारी है। एक सप्ताह पहले पिपराइच की किशोरी का मामला सामने आया, जिसे जिंदगी सुधारने का वादा करके दिल्ली ले जाया, उसे अजमेर में 1.80 लाख रुपये में एक अधेड़ ट्रक चालक को बेच दिया गया। वहां उसे तीन महीने तक बंधक बनाकर रखा गया, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं। किसी तरह वह भागकर घर लौटी तो पुलिस के पास पहुंची और इस रैकेट का बड़ा सिरा खुला। इससे कुछ हफ्ते पहले, खोराबार और झंगहा क्षेत्र की दो फुफेरी बहनों को भी एक दंपती बिहार के पूर्णिया ले गया। 23 मई 2025 को वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन से निकलीं और सीधे बेच दी गईं 1.50 लाख रुपये में आर्केस्ट्रा संचालकों के हाथ। उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और जब उन्होंने विरोध किया, तो दवाब बनाया गया कि वे "परफार्म" करें। गोरखपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और पांच दिन के भीतर महेश और गीता नामक आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर दोनों किशोरियों को छुड़ा लिया। सरिता और छोटू, जो इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं, अब भी फरार हैं। कई मामलों में परिवार वालों को पता तक नहीं चलता कि बेटी के साथ क्या हुआ। रामगढ़ताल क्षेत्र में चाय बेचने वाले एक दंपती की बेटी को नौसढ़ की सरोज नामक महिला नौकरी का वादा कर साथ ले गई और हरियाणा में दो लाख रुपये में बेच दिया। जब परिजन हरियाणा पहुंचे तो खरीदार ने कहा, हमने इसे बहू बनाया है, पैसा दो तभी लड़की मिलेगी। ये सब सिर्फ हाल के मामले नहीं हैं। सितंबर 2023 में गोरखपुर की एक महिला को बिहार के बेतिया में बेच दिया गया। आर्केस्ट्रा में काम का झांसा दिया गया। जब उसने संचालक से रुपये मांगे तो बताया गया उसे खरीदा गया है।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Ranchi, 16.7.2025
Page No. 2, Size:(11.92)cms X (18.71)cms.

हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में प्रवेश पर रोक

संस, जागरण● चतराः स्थानीय राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय में मंगलवार को हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ। छात्राएं शिक्षक-शिक्षिकाओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अभिभावकों को लेकर स्कूल पहुंच गईं। अभिभावक बच्चियों को उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गए। अस्पताल परिसर में करीब आधा घंटा तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उसके बाद महिला चिकित्सक डा. प्राची ने सभी छात्राओं का उपचार किया। हालांकि किसी के शरीर पर मारपीट का निशान नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम, डीईओ दिनेश मिश्रा व थाना प्रभारी विपिन कुमार दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। जहां अस्पताल उपाधीक्षक के चेंबर में सभी छात्राओं की शिकायतें सुनी। छात्राओं ने कहा कि हिजाब पहनकर स्कूल पहुंचने पर मारपीट की जाती है व इसका विरोध करने पर विद्यालय से निकालने की धमकी दी जाती है। मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मंगलवार को हिजाब पहनकर स्कूल पहुंचने पर शिक्षिका सीमा कुमारी, फालो कुमारी व शिक्षक रवींद्र कुमार ने मारपीट की व स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लेने दिया गया।

एसडीओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि कोई दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने कहा कि वे लगातार स्कूल का निरीक्षण करते है, लेकिन किन्ही छात्राओं ने शिकायतें दर्ज नही की। प्रधानाध्यापिका नीतू कुमारी प्रजापति ने छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Agra, 16.7.2025
Page No. 4, Size:(24.90)cms X (13.02)cms.

सीएचसी में नहीं मिला बेड, जमीन पर लेटी महिला

जगनेर अस्पताल का मामला, वीडियो प्रसारित होते ही खुली स्वास्थ्य सेवा की पोल

संसू, जागरण • जगनेर: सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई। घायल महिला को इलाज के लिए बेड नहीं मिला तो वह जमीन पर ही लेट गई। 10 मिनट तक वहीं लेटे रहने पर क्षेत्रीय व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। सवाल उठाया कि जगनेर सीएचसी की व्यवस्था का बुरा हाल है।

तुर्कपुरा गांव के 60 वर्षीय पद्म सिंह मंगलवार दोपहर 12 अपनी 35 वर्षीय बेटे गुड्डू, 30 वर्षीय पुत्रवधु प्रीति और दो वर्षीय नातिन चांदनी के साथ बाइक से जगनेर जा रहे थे। जगनेर-बरिगवां मार्ग पर सामने से आई बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में पद्म सिंह समेत चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि दूसरी बाइक पर सवार लोग बच गए। हादसे में घायल चारों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पद्म सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का इलाज हो रहा था, तभी बेड नहीं मिलने पर घायल प्रीति दर्द से कराहते हुए वहीं जमीन पर लेट गईं। घायल गुड्डू ने बताया कि सीएचसी पर पत्नी को बेड तक उपलब्ध नहीं कराया गया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका महिला का जमीन पर लेटे हुए 20 सेकेंड का वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया। सीएचसी प्रभारी यादवेंद्र सिंह ने बताया कि इमरजेंसी में दो ही बेड हैं। चिकित्सक ने उपचार के बाद महिला को वार्ड में जाने की सलाह दी थी। महिला घर जाने की बात कहकर वहीं बैठ गई। कूलर की हवा के सामने ही लेट गई थी। बाद में वह घर चली गई।

जगनेर सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद जमीन पर लेटी दुर्घटना में घायल प्रीति • इंटरनेट मीडिया

- मंगलवार दोपहर 12 बजे की घटना।
- बाइक पर चार लोग थे।
- 20 सेकेंड का वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया।

मंगलवार को दुर्घटना में घायल परिवार के चार सदस्य सीएचसी पर पहुंचे तो व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गयी। दुर्घटना में तुर्कपुरा निवासी पिता पुत्र सहित महिला व बच्ची घायल हो गये थे, सूचना पर पहुंचे स्वजन घायलों को सीएचसी लेकर पहुंचे थे। सीएचसी पर पिता पुत्र को उपचार के लिये बेड मिल गया था वही घायल महिला जमीन पर लेटने को विवश हो गयी। जमीन पर लेटी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही पर कड़ी कार्यवायी की मांग कर रहे है।

तुर्कपुरा निवासी 60 पदम सिंह अपने बेटे 35 गुड्डू, पुत्रवधु 30 प्रीति और नातिन दो वर्षीय चांदनी के साथ बाइक से जगनेर आ रहे थे,। जगनेर-बरिगवां मार्ग पर बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में चारों लोग घायल हो गये। सूचना पर पहुंचे राकेश सहित अन्य स्वजन घायलों को लेकर सीएचसी पहुंचे, सीएचसी पर घायल पदम सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया है।

पीड़ित गुड्डू ने बताया कि सीएचसी पर पत्नी को बेड उपलब्ध नहीं कराया गया था। घायल पत्नी दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेटने को विवश हो गयी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सीएचसी प्रभारी यादवेंद्र सिंह ने बताया कि इमरजेंसी में दो बेड थे। चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार वार्ड में जाने के लिये कहा था। महिला घर जाने की बात कहकर वही बैठ गयी और कूलर की हवा के सामने ही लेट गई थी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA (MY CITY), Lucknow, 16.7.2025
Page No. 2, Size:(7.32)cms X (7.13)cms.

मरीज का तीन बार काटा पैर, दो लाख वसूले...फिर बाहर निकाल दिया

संवाद न्यूज एजेंसी

मोहनलालगंज। एक निजी अस्पताल में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टरों ने हादसे में जख्मी एक मरीज का पैर तीन बार काटा और इलाज के नाम पर दो लाख रुपये भी वसूल लिए। हालत बिगड़ने पर मरीज को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित के भाई ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही व अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है।

नगराम के गढ़ी गांव निवासी सुंदरलाल ने बताया कि उनका भाई रामफेर (40) मजदूरी करता है। 21 जून को वह बाइक से मोहनलालगंज जा रहा था, तभी सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराकर घायल हो गया। उसे मोहनलालगंज के मानस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सुंदरलाल के मुताबिक, डॉक्टरों ने पहले बायां पैर और हाथ टूटने की बात कहकर डेढ़ लाख रुपये इलाज के नाम पर लिए। इस दौरान उनका बायां पैर काट दिया गया। कटे हुए पैर से खून नहीं रुका तो दोबारा ऑपरेशन के लिए 50 हजार रुपये और ले लिए गए।

रामफेर।

> नस ब्लॉक थी, इसलिए पैर काटा गया था। परिजन मरीज को लेकर घर चले गए थे। दोबारा इलाज के लिए नहीं लौटे। परिजनों के आरोप बेबुनियाद हैं।
> – **डॉ. संतोष गुप्ता**, मानस हॉस्पिटल संचालक

इस दौरान पैर का कुछ हिस्सा दोबारा काटा गया। इसके बावजूद पैर में संक्रमण फैलता गया। जब स्थिति और बिगड़ गई तो अस्पताल प्रशासन ने मरीज को बाहर निकाल दिया। परिजनों ने उसे दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां संक्रमण फैलने पर डॉक्टरों को तीसरी बार जांघ से पैर काटना पड़ा। इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RAJASTHAN PATRIKA, Bengaluru, 16.7.2025
Page No. 5, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

नोट्स देने के बहाने की दोस्ती

छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में दो व्याख्याता सहित 3 गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बेंगलूरु. शहर की मारतहल्ली पुलिस ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिदरी स्थित एक कॉलेज के दो व्याख्याताओं और उनके एक मित्र को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान भौतिकी के व्याख्याता नरेंद्र (45), जीवविज्ञान के व्याख्याता संदीप (38) और उनके दोस्त अनूप (40) के रूप में की गई है।

पुलिस के अनुसार नरेंद्र ने नोट्स देने के बहाने छात्रा से दोस्ती की और उसके बेंगलूरु आने के बाद भी उससे नियमित संपर्क में रहा। एक दिन उसने छात्रा को मारतहल्ली स्थित अनूप के किराए के कमरे पर बुलाया, जहां कथित रूप से उसे धमका कर दुष्कर्म किया गया।

पुलिस को संदेह है कि आरोपी व्याख्याताओं ने पहले भी छात्राओं का शोषण किया है, जिसे लेकर विस्तृत जांच की जा रही है।

दो आरोपियों ने ब्लैकमेल कर किया उत्पीड़न

इसके बाद संदीप ने भी छात्रा को नरेंद्र के साथ की तस्वीरें और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि तीसरे आरोपी अनूप ने भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा का यौन शोषण किया। जब उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं, तो छात्रा ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई, जिन्होंने उसे साथ लेकर महिला आयोग से संपर्क किया और फिर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

SWADESH, Lucknow, 16.7.2025
Page No. 5, Size:(8.80)cms X (9.64)cms.

अजा वारंटी की हिरासत में मौत हुई मौत से ग्रामीणों का हंगामा

नगुआ गांव छावनी में तब्दील, बेटों के आने तक पोस्टमार्टम नहीं होने देने पर अड़े परिजन

स्वदेश समाचार ■ संतकबीरनगर

महुली थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिचरा बाबू पुलिस चौकी में सोमवार सुबह हिरासत के दौरान एक दलित वारंटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक राम किशुन (निवासी ग्राम नगुआ) की मृत्यु के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने चौकी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई। परिजन और ग्रामीण मृतक के दिल्ली से आ रहे चार बेटों के आने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देने पर अड़े हुए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार सोमवार शाम शनिचरा बाबू पुलिस चौकी के सिपाही नगुआ गांव निवासी मतई पुत्र मोतीलाल और राम किशुन पुत्र बुझई के घर पहुंचे और न्यायालय से जारी पुराने वारंट का हवाला देते हुए दोनों को मंगलवार सुबह चौकी पर बुलाया। वारंटी मतई के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे चौकी प्रभारी दो सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचे और उसके बाद राम किशुन के घर गए। राम किशुन गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे और उस समय घर में खाना खा रहे थे। परिजनों ने दवा खिलाने का समय मांगा, पर आरोप है कि पुलिस ने जबरन उन्हें बाइक पर बैठाकर चौकी ले गई। बताया जा रहा है कि चौकी पहुंचते ही राम किशुन की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उन्हें पास की एक निजी क्लिनिक ले गई, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि चिकित्सक के मृत घोषित करते ही पुलिस शव वहीं छोड़कर निकल गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने शव को राम किशुन के घर पहुंचाया। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रियम शेखर पांडेय, थानाध्यक्ष रजनीश राय और बाद में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन मृतक की पत्नी और पुत्री पोस्टमार्टम से पहले दिल्ली से आ रहे चारों बेटों के पहुंचने की जिद पर अड़ी रहीं। समाचार लिखे जाने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2011 में गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें बाद में आपसी सुलह हो गई थी। उसी मामले में पांच लोगों पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। इनमें से तीन बाहर थे, जबकि दो (मतई और रामकिशन) गांव में ही थे। पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर चौकी ले गई थी। घटना की सूचना फैलते ही नगुआ गांव और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में ग्रामीण जुटने लगे। पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है। स्थिति को देखते हुए महुली और धनघटा थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। पूरा नगुआ गांव फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। यह घटना एक बार फिर पुलिस द्वारा बीमार व्यक्तियों के साथ कथित अमानवीय रवैए और बिना चिकित्सा परीक्षण के गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश देने की बात कही है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RAJASTHAN PATRIKA, Gwalior, 16.7.2025
Page No. 2, Size:(8.86)cms X (10.13)cms.

कोर्ट ने कहा- ऐसे व्यक्ति सेवा में रखने योग्य नहीं

यौन शोषण मामले में पहली बार पूर्व कुलपति पर 35 लाख रुपए का जुर्माना

पत्रिका
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोर्ट की टिप्पणी: संस्थान का नियंत्रण ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहने दिया, जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था, शासन पर 5 लाख का जुर्माना

ग्वालियर. हाईकोर्ट ने एलएनआईपीई (लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान) में सात साल पहले हुए यौन शोषण मामले में तत्कालीन कुलपति प्रो. दिलीप दुरेहा पर 35 लाख का जुर्माना किया है। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा, संस्थान ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा, जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई नहीं की। एक महिला ने अपनी प्रतिष्ठा को भी खोया। कोर्ट ने एलएनआईपीई पर 1 लाख व शासन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि संबंधित पुलिस अधिकारी से वसूलने का आदेश दिया है जिसके पास शिकायत पहुंची और उसने यौन शोषण का केस दर्ज नहीं किया। चार सप्ताह में राशि वसूल कर पीड़िता को देनी होगी। कुल 41 लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया है।

पुलिस व संस्थान को लेकर कोर्ट की टिप्पणी

- **पुलिस:** कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया अमानवीय और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उन्हें दंड का पात्र बनाता है। इसलिए पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो अधिकारियों इसके लिए जिम्मेदार हैं। उससे राशि वसूली की जाए।
- **संस्थान:** कार्यस्थल पर उचित न्याय नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जिससे उसका बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। इसलिए 1 लाख रुपए का राशि एलएनआईपीई को देनी होगी।

क्या है मामला

- दरअसल योग शिक्षक मार्च 2019 में सुबह 7 बजे क्लास लेने जा रही थीं। उसी बीच तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेहा रास्ते में मिले और गलत नीयत से हाथ लगाया। इससे महिला शिक्षक घबरा गई। उस वक्त शिकायत नहीं की, लेकिन फिर से कुलपति ने शिक्षक के साथ गलत हरकत की। इस हरकत की शिकायत महिला उत्पीड़न के लिए बनी कमेटी में की। कमेटी में शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद दिलीप दुरेहा पर कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर के लिए थाने में आवेदन भी दिया, लेकिन महिला की किसी ने नहीं सुनी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन साल बाद एफआईआर दर्ज हुई। महिला की 2020 से याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी। इस याचिका पर 2 जुलाई को बहस हुई। मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
- दिलीप दुरेहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्हें एलएनआईपीई का कुलपति बनाया गया था। यह सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

श्योपुर कलेक्टर ने जांच को एसआईटी की मांग की थी

मध्यप्रदेश में बंधुआ मजदूरी रोकने और जमीन बचाने एसआईटी बनेगी

हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, राजस्व से शपथ पत्र पर मांगा सुझाव

सिटी रिपोर्टर | ग्वालियर

मध्यप्रदेश में बंधुआ मजदूरी रोकने और सरकारी जमीन बचाने के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाने की तैयारी है। मप्र हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र शासन (राजस्व विभाग) के प्रमुख सचिव को शपथ पत्र पर टीम बनाने के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा है। एसआईटी बनाने का एक उद्देश्य ये भी है ताकि समस्या के निराकरण के लिए समाधान भी मिल सके।

दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को अशोकनगर में बंधुआ मजदूरी की जानकारी लगी। गहन पड़ताल की तो पता चला कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासन से जो जमीन मिलती है। दबंग उन जमीनों को जबरन बेचने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। इसलिए इन लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर खेतों में काम कराया जाता है। ऐसे ही आरोप तत्कालीन श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार ने भी लगाए थे। कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की थी। एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि सिविल न्यायालयों में सरकारी जमीन के केस सरकार हार रही है। इस मामले में भी प्रमुख सचिव को शपथ पत्र पर जवाब देना है। हाई कोर्ट ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण है और प्रमुख सचिव को इस पर विचार करना चाहिए। अब मामले की सुनवाई 11 अगस्त को होगी। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पूरन कुलश्रेष्ठ को आदेश की कॉपी व्यक्तिगत रूप से प्रमुख सचिव राजस्व को भेजने को कहा है।

कलेक्टर ने पहले कमिश्नर फिर पीएस को पत्र लिखा

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि श्योपुर में बंधुआ मजदूरी का एक भी केस नहीं है। इस पर एडवोकेट विभोर कुमार साहू की ओर से आपत्ति जताई गई। उनकी ओर से 7 फरवरी 2024 को तत्कालीन श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को लिखे गए पत्र का हवाला दिया गया। इसमें जिले में पदस्थ पटवारी-तहसीलदारों पर शासकीय जमीन संबंधी रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को दी गई जमीन बेचने के मामले में फर्जीवाड़े का हवाला देते हुए स्पेशल टीम गठित करने की मांग की थी। कलेक्टर ने प्रमुख सचिव से पहले 4 अक्टूबर 2023 को कमिश्नर , लैंड रिकॉर्ड को भी पत्र लिखा था। हाई कोर्ट ने अब प्रमुख सचिव से ये पूछा कि कलेक्टर श्योपुर के पत्र पर क्या कार्रवाई की गई ?

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग: जांच कमेटी ने विंग का किया निरीक्षण

सीएमओ ने मांगी रिपोर्ट, दिव्यांग गृह में हुई मौतों की जांच शुरू, टीम ने छह घंटे की पड़ताल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जामडोली स्थित राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह की बालिका विंग में एक माह में हुई तीन मौतों के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। पत्रिका ने 15 जुलाई को जहां 'मौन' है पीड़ा, वहां 'बहरे' हैं अफसर शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसमें महिला विंग में हुई दो मौतें गृह परिसर में और एक मौत अस्पताल में होना बताया गया था। साथ ही विंग में व्याप्त लापरवाही भी उजागर की गई थी। इसके बाद विभागीय अधिकारी सक्रिय हुए। निदेशालय विशेष योग्यजन के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव केसरलाल मीणा ने तीन संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक और एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों की पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जो दो दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गुरुवार सुबह जांच कमेटी ने गृह परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छह घंटे तक जांच की। हालांकि, मृतकों की विसरा रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।

पत्रिका में मामला उजागर होने के बाद मौके पर जांच करने पहुंचे अधिकारी।

अधीक्षक के कमरे से एसी हटवाने के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान कमेटी ने पाया कि, बालिकाओं की सुविधा के लिए दान में मिला एयर कंडीशनर (एसी) अधीक्षक रूपा वर्मा ने अपने चैंबर में लगवा लिया था। टीम सदस्यों ने सहायक निदेशक, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस रविकांत को निर्देश दिए कि एसी को वापस बीमार बालिकाओं के आइसोलेशन रूम में लगवाया जाए।

खबर का असर

राजस्थान पत्रिका

प्रकाशित खबर।

रालसा ने दिए जांच के आदेश

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) ने भी समाचार पर संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। रालसा सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जयपुर महानगर-प्रथम) को निर्देश दिए कि तीन दिन में जांच कर 18 जुलाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

पंजाब केसरी
WED,16 JULY 2025
EDITION: JAMMU , PAGE NO. 4

'देश में देह व्यापार जोरों पर' होटलों, स्पा सैंटरों और अब घरों में भी!

देश में देह व्यापार बढ़ता जा रहा है। अब तो होटलों और स्पा सैंटरों में ही नहीं, घरों के अंदर भी देह व्यापार के मामले सामने आ रहे हैं और यह अनैतिक धंधा चलाने में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शामिल पाई जा रही हैं जिनके पिछले लगभग सवा महीने के उदाहरण निम्न में दर्ज हैं :

** 7 जून को 'विकासपुरी' (पश्चिमी दिल्ली) थाना पुलिस ने एक होटल की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार का पर्दाफाश करके इसे चला रहे एक पति-पत्नी को गिरफ्तार करने के अलावा वहां से 6 युवतियों को मुक्त करवाया।*

** 21 जून को 'दौसा' (राजस्थान) में 'महवा' थाना की पुलिस ने एक मकान में चलाए जा रहे देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश करके 3 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया।*

** 28 जून को 'नमक्कल' (तमिलनाडु) में पुलिस ने 4 'स्पा' और 'मसाज पार्लरों' में चलाए जा रहे देह व्यापार के अड्डों से 18 महिलाओं को वेश्यावृत्ति की दलदल से मुक्त कराने के अलावा चारों 'स्पा सैंटरों' के मैनेजरों को गिरफ्तार किया।*

** 29 जून को 'सीतामढ़ी' (बिहार) जिले में आर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार का अड्डा चलाने वाले 'विशाल कुमार' नामक आरोपी को 'मुजफ्फरपुर' से गिरफ्तार किया गया जो तीन वर्षों से फरार चल रहा था।*

** 11 जुलाई को 'करनाल' (हरियाणा) में पुलिस ने एक 'सुपर मॉल' में कई 'स्पा' सैंटरों की आड़ में चलाए जा रहे सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ करके कई कमरों में इस्तेमाल किए हुए कंडोम तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री के अलावा एक 'स्पा सैंटर' की मैनेजर सहित 10 युवतियों और 4 युवकों को पकड़ा।*

** 11 जुलाई को ही 'नवी मुम्बई' (महाराष्ट्र) में पुलिस ने देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 पुरुषों को गिरफ्तार करने के अलावा नाबालिग लड़कियों सहित 5 महिलाओं को वहां से मुक्त करवाया। आरोपी अपने ग्राहकों से 4000 रुपए के हिसाब से भारी-भरकम रकम ऐंठते थे।*

** 12 जुलाई को 'कानपुर' (उत्तर प्रदेश) में 'गुबा गार्डन' के एक मकान में चलाए जा रहे देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश करके 2 संचालकों, 2 महिलाओं और 7 ग्राहकों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह ऑनलाइन ग्राहक ढूंढता था। देह व्यापार के इस काले कारोबार में 'रूसी' महिलाओं से लेकर स्थानीय कालेज छात्राएं तक शामिल थीं।*

अगर किसी ग्राहक के पास जगह न हो तो इस गिरोह ने मकान के तहखाने में 'क्यूबिकल' (छोटे कमरे) भी बना रखे थे जिसका 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से किराया लिया जाता था।

पुलिस ने इस सिलसिले में देह व्यापार में लिप्त लड़कियों सहित संचालक को भी गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि यह गिरोह व्हाट्सएप पर ग्राहकों को लड़कियों के फोटो भेजता जिनके साथ उनके रेट भी लिखे होते थे। ग्राहक द्वारा पसंद कर लेने पर लड़की को उसके बताए हुए घर या होटल में भेज दिया जाता था।

** 12 जुलाई को ही 'रेवाड़ी' (हरियाणा) पुलिस ने एक होटल में देह व्यापार के अड्डे का पता लगाकर होटल से 2 महिलाओं को बरामद करने के अलावा होटल की महिला मैनेजर को गिरफ्तार किया। इस होटल में देह व्यापार के लिए व्हाट्सएप पर बुकिंग की जाती थी।*

** 14 जुलाई को 'अमृतसर' (पंजाब) की 'रामबाग' पुलिस ने एक होटल में देह व्यापार करवाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया।*

** 14 जुलाई को ही 'लुधियाना' (पंजाब) में थाना 'टिब्बा' की पुलिस ने देह व्यापार करवाने के आरोप में एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार करने के अलावा भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री और नकद राशि बरामद की।*

उक्त घटनाओं से स्पष्ट है कि इस धंधे में संलिप्त लोगों और इस काम में उनकी सहायता करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और कठोरतम दंड देने की आवश्यकता है ताकि दूसरों को भी सबक मिले।

चूंकि इस धंधे में अधिकांश महिलाएं आर्थिक मजबूरी के कारण आती हैं, अत: महिलाओं को इसमें पड़ने से बचाने के लिए सरकार को कोई बुनियादी ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम शुरू करने चाहिएं, ताकि इस बुराई में संलिप्त होने की बजाय जरूरतमंद महिलाएं सम्मान पूर्वक अपनी आजीविका चलाने के योग्य बन सकें।

—विजय कुमार

RAJASTHAN PATRIKA, Kolkata, 16.7.2025
Page No. 6, Size:(8.86)cms X (9.50)cms.

शिक्षक की शर्मनाक करतूत, छात्रों से अश्लील हरकत करवाई

हुगली @ पत्रिका. जहां बच्चों को भविष्य संवारने की शिक्षा मिलती है, वही जगह कलंकित हो गई। एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत ने पूरे शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। मामला चंदननगर नगर निगम द्वारा संचालित कन्हाई लाल विद्यालय (अंग्रेजी विभाग) से सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कक्षा 1 के दो छात्रों से आपत्तिजनक और अश्लील हरकतें करवाईं।

घटना के बाद छात्रों के परिजनों ने चंदननगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को चंदननगर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद विवाद उस वक्त बढ़ गया जब स्कूल के अन्य छात्रों ने शिक्षक पर लगे आरोपों को 'झूठा' बताते हुए उसकी अविलंब रिहाई की मांग की। विरोध कर रहे छात्रों ने चंदननगर थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और यदि शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

चंदन नगर थाने के सामने प्रदर्शन करते अभिभावक के और छात्र

फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और पीड़ित बच्चों के बयान के साथ-साथ अन्य छात्रों और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों और अभिभावकों का एक समूह चंदननगर थाने के बाहर जुटा रहा। उनका दावा है कि शिक्षक को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधान शिक्षक के कार्यकाल में स्कूल की पढ़ाई और अनुशासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आरोपी शिक्षक को अदालत से जेल ले जाती पुलिस

RAJASTHAN PATRIKA, Indore, 16.7.2025
Page No. 11, Size:(8.86)cms X (8.89)cms.

न्याय पाने नए-नए पैंतरे

केले के पत्ते लपेटकर पहुंचा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मंदसौर. सरकारी जमीन पर पांच लोगों ने अवैध निर्माण कर धर्मशाला बना दी। इस निर्माण के खिलाफ लालाखेड़ी का पन्नालाल सेन एक साल से पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काट रहा है। मंगलवार को अफसरों का ध्यान खींचने के लिए केले के पत्ते शरीर पर लपेटकर जनसुनवाई में पहुंचा। एडीएम एकता जायसवाल ने एसडीएम को सात दिन में जांच कर रिपोर्ट मांगी है। पन्नालाल ने कहा, केले के पत्ते शरीर पर लपेट कर यहां आया है। मेरी नहीं शासकीय जमीन के लिए लड़ रहा हूं।

15 एकड़ जमीन डूबी, पूरा परिवार दंडवत पहुंचा कलेक्ट्रेट

टीकमगढ़. पृथ्वीपुर की ग्राम पंचायत बिरौरा खेत में सरपंच ज्ञान सिंह दांगी ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत किसान की जमीन पर तालाब निर्माण किया था। बारिश से पूरा तालाब भरने से 15 एकड़ जमीन डूब गई। इससे जीवन यापन बंद हो गया है और खेतों में खड़े सैकड़ों पेड़ पौधे खराब हो गए। इस समस्या के निराकरण के लिए पीड़ित किसान चिंतामणि लुहार परिवार समेत दंडवत होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई।

पत्नी बोली- एसिड अटैक की धमकी दे रहा पति

ग्वालियर. पति-पत्नी का विवाद एसपी की जनसुनवाई में पहुंच गया। हनुमान चौराहा निवासी किरन ने बताया, 10 साल पहले मनीष दुबे से शादी हुई थी। घर में पैसे की कोई परेशानी नहीं है, फिर भी पति मनीष क्लेश करते हैं। किरन का आरोप है, चाचा ससुर भी उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इसलिए बच्चों को लेकर मायके चलीं गई थीं। मनीष वहां आकर बड़े बेटे को उठा ले गया और एसिड अटैक की धमकी दी। एएसपी ने काउंसलिंग की बात कही है।

AMRIT VICHAR, Lucknow, 16.7.2025
Page No. 3, Size:(12.61)cms X (10.37)cms.

उफ ये धरती के भगवान

हादसे में घायल मजदूर के परिजन से इलाज के नाम पर वसूले दो लाख रुपये

दो बार काटा पैर, हालत बिगड़ने पर अस्पताल से भगाया

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : मोहनलालगंज के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने रुपयों से लालच में हादसे में घायल मजदूर को दो बार पैर काट दिया। हालत बिगड़ने पर मरीज को अस्पताल से बाहर कर दिया। परिजन दूसरे अस्पताल ले गए, वहां जांघ के पास से तीसरी बार पैर काटना पड़ा। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है।

नगराम के गढ़ी गांव निवासी मजदूर रामफेर (40) के परिवार में पत्नी बिंदेश्वरी व बेटा देशराज हैं। भाई सुंदर लाल ने बताया रामफेर 21 जून को बाइक से मोहनलालगंज जा रहे थे। बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई थी। उसे मोहनलालगंज में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने बायां पैर व बायां हाथ टूटा होने की बात कहकर इलाज के लिए परिवार से डेढ़ लाख रुपये ले लिए। मजदूर का पैर काट दिया। आरोप है कटे पैर से खून बंद न होने पर चिकित्सक ने कहा कि कोई नस कट गई है, जिसका ऑपरेशन होगा। इसके लिए 50 हजार रुपये ले लिए। दोबारा पैर काटा गया। इसके बाद रामफेर की हालत और गंभीर हो गई। संक्रमण से पैर सड़ने लगा। जिसके बाद मरीज को जबरन अस्पताल से बाहर कर दिया गया।

सुंदर के मुताबिक इसके बाद वह रामफेर को दूसरे निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने संक्रमण फैलने की बात कही। जान बचाने के लिए तीसरे बार जांघ के पास से पैर काटना पड़ा। इंस्पेक्टर दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीएमओ को पत्र भेजा जाएगा। सीएचसी अधीक्षक डॉ. दिवाकर भारद्वाज ने बताया मामला जानकारी में आया है। जांच कराई जाएगी। इलाज में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

निजी अस्पताल में भर्ती रामफेर। अमृत विचार

मरने के बाद वसूली के लिए लगाया वेंटिलेटर

अमृत विचार, लखनऊ : विभूतिखंड अयोध्या रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज दौरान दरोगा की मौत हो गई। परिवारीजनों ने इलाज में लापरवाही और वसूली का आरोप लगाया है। चिनहट के नंदपुर निवासी राजेश यादव (45) प्रयागराज के पुरामुफ्ति थाने में एसआई थे। बेटे ऋषभ ने बताया वह छुट्टी लेकर घर आए थे। 11 जुलाई को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें चंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने के कुछ ही देर बाद स्टाफ ने वेंटीलेटर सपोर्ट पर रख दिया। इलाज के नाम पर करीब ढाई लाख रुपये लिए गए। बेटे का कहना है सोमवार देर रात करीब 12 बजे शव सौंपा गया जबकि मौत पहले हो चुकी थी। इसके बाद भी वेंटिलेटर पर रखे रहे। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है परिजनों की शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी बिंदुओं की जांच करके कार्रवाई की संस्तुति होगी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Panchkula, 16.7.2025
Page No. 1, Size:(28.43)cms X (12.01)cms.

सिविल अस्पताल की जर्जर हालत पर मानवाधिकार आयोग हरियाणा में हुई सुनवाई

सिविल सर्जन पंचकूला तलब, 19 अगस्त को पेशी फायर डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी से भी मांगी रिपोर्ट

हेल्थ रिपोर्टर | पंचकूला

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पंचकूला के जनरल अस्पताल की जर्जर हालत पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने सिविल सर्जन पंचकूला को 19 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता और मुख्य अग्निशमन अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी है।

शिकायतकर्ता एसके नय्यर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि अस्पताल की हालत अब भी खराब है। उन्होंने पहले दी गई शिकायत में जो बातें कही थीं, उन्हें भी दोहराया है। उन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग भी आयोग को सौंप है।

वहीं आयोग ने 29 मई को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई। आयोग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक की जांच में शिकायतकर्ता को भी जांच में शामिल नहीं किया है। इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने सिविल सर्जन पंचकूला को अगली सुनवाई में हाजिर होने को कहा है। साथ ही मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), हरियाणा और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई के दौरान इन्हें रिपोर्ट पेश करनी होगी।

फायर सेफ्टी उपकरण पूरे नहीं, एनओसी पर रोक

हरियाणा मानवाधिकार आयोग में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे पंचकूला के फायर स्टेशन अधिकारी तरसेम सिंह और फायर अफसर रविंदर पराशर पेश हुए। उन्होंने आयोग को बताया कि निर्माण एजेंसियों को फायर सेफ्टी उपकरणों की कुछ कमियों के बारे में पहले ही सूचित किया गया था। इसके बावजूद अब तक जरूरी उपकरण नहीं लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि जैसे ही सभी जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण लगाए जाएंगे, फायर एनओसी तुरंत जारी कर दी जाएगी। आयोग ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की गई है। आदेश की प्रति हरियाणा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भी भेजी गई है ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। यह आदेश आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने 15 जुलाई 2025 को जारी किया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Chandigarh, 16.7.2025

Page No. 1, Size:(12.96)cms X (16.02)cms.

ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं...

किशोरी के मुंह पर मारी शराब की बोतल, 3 दांत टूटे, 35 टांके आए

नूंह | चेहरे पर शराब से भरी कांच की बोतल लगने से किशोरी कुछ बोल भी नहीं पा रही।

नूंह | नूंह में स्कूटी सवार 17 वर्षीय किशोरी के मुंह पर दो युवकों ने शराब से भरी कांच की बोतल दे मारी। किशोरी लहूलुहान होकर गिर पड़ी। तीन दांत टूट गए। किशोरी के चेहरे पर 35 टांके लगे हैं। चेहरे पर 10 से ज्यादा जगह कांच के घाव हैं। पीड़िता ने बताया कि हमले के बाद एक युवक ने कहा- राहुल भाग रे। दरअसल, किशोरी दूध लेकर घर लौट रही थी। दो युवक बाइक को आगे-पीछे बाइक घुमा रहे थे। किशोरी ने कहा- बाइक ढंग से चला लो। इस पर युवकों ने शराब की बोतल मुंह पर दे मारी।

PUNJAB KESARI, Himachal, 16.7.2025
Page No. 9, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

पैसे नहीं लौटा पाए तो 2 दोस्तों के उतारे कपड़े, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को किया मजबूर

मुंबई, 15 जुलाई (प.स.): मुंबई में पैसे का भुगतान नहीं करने पर कुछ लोगों ने 2 दोस्तों को निर्वस्त्र कर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से एक किशोर नाबालिग है। एक अधिकारी ने बताया कि अंगड़िया (कोरियर) का कारोबार करने वाले आरोपियों ने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया। उन्होंने पीड़ितों को धमकी दी कि वे इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। उन्होंने बताया कि घटना 2 हफ्ते पहले हुई थी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य लोगों की तलाश जारी है।

पुलिस ने इस संबंध में अधिक जानकारी दिए बिना बताया कि आरोपियों ने पीड़ितों को कुछ पैसे उधार दिए थे और उन पर चोरी का आरोप भी लगाया था।

PUNJAB KESARI, Chandigarh, 16.7.2025
Page No. 1, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

कैदियों को पसंदीदा खाना न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,15 जुलाई (प.स.): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जेल में कैदियों को उनका 'पसंदीदा या महंगे खाद्य पदार्थ' न दिया जाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सभी कैदियों को हासिल है, लेकिन यह पसंदीदा या शानदार भोजन की मांग करने का अधिकार नहीं देता।

पीठ ने कहा, "केवल पसंदीदा या महंगी खाद्य सामग्री की आपूर्ति न किए जाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता... राज्य का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगों सहित सभी कैदियों को पर्याप्त, पौष्टिक और चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त भोजन मिले, जो चिकित्सा प्रमाणीकरण के अधीन हो।" शीर्ष अदालत ने जेल को सुधारात्मक संस्थान बताया, न कि नागरिक समाज की सुविधाओं का विस्तार।

PUNJAB KESARI, Jalandhar, 16.7.2025
Page No. 1, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

बेंगलुरु में फिजिक्स और बायोलॉजी के लैक्चररों ने छात्रा का किया रेप, गिरफ्तार

बेंगलुरु, 15 जुलाई (इंट): कर्नाटक के बेंगलुरु से 2 शिक्षकों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां फिजिक्स और बायोलॉजी के टीचरों ने अपनी एक छात्रा के साथ रेप किया। दोनों ने छात्रा को ब्लैकमेल कर उसे कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। कॉलेज छात्रा के साथ कई बार बलात्कार करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में दोनों शिक्षकों और उनके एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक फिजिक्स के लैक्चरर नरेंद्र, बायोलॉजी के लैक्चरर संदीप और उनका दोस्त अनूप यहां के निजी कॉलेज में काम करते हैं। पीड़िता भी इसी कॉलेज की छात्रा थी। छात्रा ने बताया कि सबसे पहले नरेंद्र ने नोट्स देने के बहाने उससे संपर्क किया और दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद नरेंद्र ने छात्रा को एक दिन अनूप के कमरे पर बुलाया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उसने छात्रा को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा।

कुछ दिनों बाद संदीप ने भी छात्रा को परेशान करना शुरू कर दिया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसने कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल किया।

यौन उत्पीड़न की शिकार छात्रा की मौत से ओडिशा में बवाल

बालासोर : पुलिस की मौजूदगी में छात्रा का किया जा रहा अंतिम संस्कार।

भुवनेश्वर, 15 जुलाई (प.स.): एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर 'यौन उत्पीड़न' किए जाने के मामले में न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दम तोड़ दिया, जिससे बवाल मच गया है। राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस और माकपा ने इसे सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा के प्रति भाजपा सरकार की नाकामी बताई। कांग्रेस ने इस घटना के विरोध में 17 जुलाई को पूरे राज्य में बंद की कॉल दी है।

बालासोर के फकीर मोहन (स्वायत्त) महाविद्यालय की एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने तीन दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद सोमवार रात दम तोड़ दिया।

भाजपा के सिस्टम ने की छात्रा की हत्या, प्रधानमंत्री जवाब दें : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद आरोप लगाया कि भाजपा के 'सिस्टम' ने इस लड़की की हत्या की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विषय पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बल्कि जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह आत्महत्या नहीं, 'सिस्टम' द्वारा संगठित हत्या है। उन्होंने कहा, 'मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर - देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं। और आप खामोश बैठे हैं।'

AMAR UJALA, Hamirpur, 16.7.2025
Page No. 1, Size:(5.28)cms X (6.19)cms.

छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

महोबा। घर से विद्यालय जा रही छात्रा से दुष्कर्म करने के दो साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संदीप चौहान ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर दोषी मंगल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

थाना अजनर के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी कक्षा छह में पढ़ती है। चार मार्च 2023 की सुबह वह घर से स्कूल जा रही थी। तभी मंगल सिंह ने उसे नाला के पास रोक लिया और मुंह दबाकर उसे घसीटते हुए एकांत स्थान पर ले गया। विरोध करने पर जातिसूचक

अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया

शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी और दुष्कर्म किया। छात्रा के चीखने पर आसपास खेतों पर मौजूद लोग दौड़ पड़े। उन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भाग निकला। पीड़िता ने पूरी घटना मां बताई। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। दोषी की जमानत खारिज हो गई थी। इससे वह जेल में ही है। (संवाद)

NAI DUNIYA, Bilaspur, 16.7.2025
Page No. 7, Size:(10.95)cms X (5.36)cms.

गर्भवती महिला चार किमी पैदल चलकर एंबुलेंस तक पहुंची

कीचड़ भरी सड़क पैदल पार कर महिला को एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। ●ग्रामीण

नईदुनिया न्यूज, पखांजूर। ग्राम पंडरीपानी से गुमड़ीपारा पहुंच मार्ग की स्थिति इतनी खराब है कि गर्भवती महिला को चार किलोमीटर कच्ची कीचड़नुमा सड़क पैदल पार करनी पड़ी। ग्राम पंचायत परतापुर के आश्रित ग्राम पंडरीपानी से गुमड़ीपारा पहुंच मार्ग की हालत अत्यंत खराब है। लगभग चार किलोमीटर की सड़क जर्जर है। दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाना भी संभव नहीं है। गर्भवती महिला सुनीता कोमरा पति संजय कोमरा को चार किलोमीटर की कच्ची सड़क पैदल चलकर पार करनी पड़ी और फिर परतापुर तक एंबुलेंस के लिए आना पड़ा। महिला को पखांजूर सिविल अस्पताल लाया गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सड़क की खराब हालत के कारण ग्रामीणों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सरपंच और सचिव इस समस्या को नजर अंदाज कर रहे : ग्राम पटेल देवनिधि नरवर ने बताया सरपंच को कई बार इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने इस सड़क को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सरपंच और सचिव इस समस्या को नजर अंदाज कर रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि इस सड़क की मरम्मत कराई जाए और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। साथ ही सरपंच और सचिव की लापरवाही की जांच की जाए।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA, Jammu, 16.7.2025
Page No. 4, Size:(10.70)cms X (11.11)cms.

सरकारी स्कूल में करंट लगने से गाय की मौत, मुआवजे के लिए प्रदर्शन

गाय के मालिक ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, थाने में शिकायत दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

अरनिया। क्षेत्र के आदर्श गांव आल्हा में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल परिसर में बिजली के तार से करंट लगने पर एक दुधारू गाय की मौत होगई। गाय को बचाने गए मालिक को भी करंट लगा है, हालांकि वह बच गया।

मालिक थोडू राम के अनुसार दुधारू गाय की मौत बिजली विभाग की लापरवाही से हुई है। इस मौके पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली विभाग की तरफ से गाय की मौत पर किसी प्रकार के मुआवजे का आश्वासन नहीं दिया गया है। इसके चलते मालिक थोडू राम ने अरनिया थाने में बिजली विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

इस मुद्दे पर बिजली विभाग के जेई जनक राज ने बताया कि दुधारू गाय की मौत की घटना काफी दुखद है। उन्होंने मौका देख लिया है। दफ्तर पहुंचकर बड़े अधिकारियों से मुआवजे की बात की जाएगी।

इस मुद्दे पर थाना प्रभारी अरनिया दिलावर कुमार ने कहा कि करंट लगने से गाय की मौत की शिकायत दर्ज की गई है। क्षेत्र के जेई से जवाब तलब किया गया है शिकायत के आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है।

गाय की मौत पर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते लोग। संवाद

नगरोटा मार्ग की खस्ता हालत से जनता परेशान

विजयपुर नगरोटा मार्ग इस तरह से खस्ताहाल हो गया है। संवाद

विजयपुर। बारिश का पानी भरने से नगरोटा मार्ग की खस्ता हालत हो गई है। बड़े-बड़े गड्ढे हो आए हैं। कीचड़ में दोपहिया वाहन फिसल रहे हैं। मंजीत सिंह, रविन्द्र सिंह, राजेश शर्मा आदि ने सरकार से मांग की है कि नगरोटा मार्ग पर तारकोल डाला जाए, ताकि लोगों परेशानी हल हो सके। संवाद

राजपुरा-सारथी मार्ग की मरम्मत की मांग, वाहन चालक हो रहे परेशान

सांबा। जिले के राजपुरा तहसील की ओर जाने वाला मार्ग दो वर्ष से टूटा हुआ है। इस बारे में कई बार विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई।

स्थानीय निवासी अवतार सिंह, संदीप सिंह, सोम राज ने बताया कि फरवरी माह में एक ई रिक्शा नाले में गिर गया था, अप्रैल माह में एक स्कूटी सवार हादसे का शिकार हो चुका है। जून माह में रात्रि को एक कार चालक बाल-बाल बचा था। लोगों का कहना है कि यदि मार्ग की मरम्मत की जाए तो वाहन चालक भी हादसों से बचे रहेंगे। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय कुमार के अनुसार टूटे मार्गों की योजना बनाई जा रही है। बरसात के बाद मरम्मत करवाई जाएगी। संवाद

जम्मू-कश्मीर की खबरों से सतत जुड़े रहने के लिए ये कोड स्कैन करें

यौन उत्पीड़न केस : एलएनआइपीई के पूर्व कुलपति को देना होगा 35 लाख का हर्जाना, पीड़िता को मिलेंगे 40 लाख

हाई कोर्ट ने संस्थान पर लगाया एक लाख का जुर्माना, पीड़िता को दिया स्थानांतरण का विकल्प, प्रदेश सरकार पांच लाख रुपये पीड़िता को मुआवजा दे, जिसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से वसूला जाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियरः लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआइपीई) में महिला योग प्रशिक्षिका के साथ तत्कालीन कुलपति डा. दिलीप कुमार दुरेहा द्वारा यौन उत्पीड़न करने के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

डा. दिलीप कुमार दुरेहा

तत्कालीन कुलपति पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हुए कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें 35 लाख रु. का हर्जाना पीड़िता को देने का आदेश दिया, बल्कि संस्थान को भी एक लाख रु. का जुर्माना लगाया। पुलिस की तीन साल की निष्क्रियता पर भी सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा वह भी दे, जिसमें पूरी राशि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से वसूली जाए। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को न केवल यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, बल्कि संस्थान और पुलिस की निष्क्रियता के कारण न्याय में तीन वर्षों की देरी हुई, जिससे उसे मानसिक, भावनात्मक और पेशेवर क्षति हुई।

जारी रहा धमकानाः महिला ने शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया कि घटना के बाद भी कुलपति द्वारा बार-बार दबाव बनाना, धमकाना और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। 14 अक्टूबर 2019 को पीड़िता ने इसकी शिकायत केंद्रीय खेल मंत्रालय से की। उन्होंने बताया कि संस्थान के स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

क्या है मामला

शिकायतकर्ता योग प्रशिक्षिका वर्ष 2015 से एलएनआइपीई में स्थायी पद पर कार्यरत थीं। मार्च 2019 में उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कुलपति डा. दिलीप दुरेहा ने उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया। उनका सहयोग तत्कालीन डायरेक्टर जनक सिंह शेखावत, योग विभाग की एचओडी इंदु बोरा, सहायक अध्यापिका पायल दास, तत्कालीन समन्वयक विवेक पांडे ने किया। उन्होंने सबूत मिटाने, सीसीटीवी कैमरे बदलवाने और दबाव बनाने का काम किया। जब शिकायत की तो संस्थान की जांच समिति ने आरोपों को झूठा बताया। शिकायत खेल मंत्रालय पहुंची, तब उच्च स्तरीय समिति ने जांच समिति ने रिपोर्ट में पूर्व कुलपति दुरेहा को दोषी पाया। इस आधार पर महिला ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो महिला ने कोर्ट में गुहार लगाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने इस मामले में गोला का मंदिर पुलिस को एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए, तब जाकर पूर्व कुलपति सहित पांच लोगों पर एफआइआर दर्ज की गई।

आरोपों की पुष्टि और हाई कोर्ट की टिप्पणी

महिला आयोग की सिफारिश पर बनी आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) ने विस्तृत जांच के बाद माना कि आरोप गंभीर और सही हैं। पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर समिति ने निष्कर्ष दिया कि डा. दुरेहा ने अपने पद का दुरुपयोग कर महिला को प्रताड़ित किया और संस्थान की कार्य संस्कृति को दूषित किया।

NAI DUNIYA, Bhopal, 16.7.2025
Page No. 7, Size:(8.45)cms X (11.22)cms.

जनसुनवाई में नाराज महिला ने किया कलेक्ट्रेट की छत से कूदने का प्रयास

नवदुनिया प्रतिनिधि, देवास : प्रदेश के देवास कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान मंगलवार दोपहर महिला ने नाराज होकर छत से कूदने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और मीडियाकर्मियों ने उसको पकड़कर कूदने से रोका। हालांकि पुलिसकर्मी भी छत पर पहुंचे थे, जिन्होंने भी महिला को रोका। महिला और पति पट्टे की जमीन को लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे थे। बताया गया कि उनके नाम से पट्टे की जमीन थी, जिस पर आइटीआइ बन चुका है। प्रशासन जांच कर रहा है।

हाटपीपलिया से आए धर्मेंद्र और उनकी पत्नी आशा कलेक्टर से मिले। उन्होंने अपने पट्टे संबंधित दस्तावेज बताए। कलेक्टर ने दस्तावेज देखे और जांच की बात कही तो नाराज होकर दंपती जनसुनवाई कक्ष से बाहर आए। इसके बाद महिला ने अचानक

- पट्टे की जमीन पर बन गया था आइटीआइ, कलेक्टर ने कहा- प्रकरण में हो रही है जांच

कलेक्टर कार्यालय की छत से दोबारा कूदने की कोशिश करती महिला को रोकते पुलिसकर्मी। • नवदुनिया

छत की ओर दौड़ लगा दी। आशा व धर्मेंद्र ने बताया कि उनकी जमीन को फर्जी तरीके से इधर-उधर कर दिया है, इस मामले में वे लंबे समय से शिकायत कर रहे किंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Bhopal, 16.7.2025
Page No. 7, Size:(4.21)cms X (15.52)cms.

निर्वस्त्र कर दो युवकों की पिटाई, प्राइवेट पार्ट और सीने पर मारी लात

नवदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर : जिले के गोटेगांव थाना के झोतेश्वर चौकी क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। घटना 14 जून की रात की बताई जा रही है। बगासपुर निवासी युवक ने आरोप लगाया कि उसे दो परिचितों ने धोखे से बुलाया। उसका एक दोस्त बीच-बचाव करने आया तो तीन अन्य आरोपितों ने दोनों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे निर्वस्त्र किया गया और प्राइवेट पार्ट और सीने पर लात मारी गई। मारपीट की घटना में उस समय थाने में एफआइआर दर्ज हुई, लेकिन वीडियो में नजर आ रहे तीनों आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पीड़ित ने बताया कि उसके साथ आमिर, शहजाद और जैद ने बेरहमी से मारपीट की। आमिर ने पाइप से और शहजाद व जैद ने लात-घूसों से मारपीट की। पीड़ित ने चश्मदीद गवाहों के नाम भी शिकायत में दिए लेकिन पुलिस ने काई कार्रवाई नहीं की। अब एएसपी संदीप भूरिया का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। आरोपितों पर 15 जून को ही मामला दर्ज हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, इसलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA, Jammu, 16.7.2025

Page No. 2, Size:(18.61)cms X (6.26)cms.

गांधीनगर अस्पताल में जांच से पहले एप पर पंजीकरण की प्रक्रिया से जूझ रहे मरीज

- उमस भरे मौसम के बीच जागरूकता के अभाव में पर्ची कटाने में ही लग रहे 20 से 30 मिनट
- तीमारदारों के लिए एप पर पंजीकरण करने का स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। गांधीनगर अस्पताल में मरीजों को डॉक्टर से जांच से पहले (ड्रीफकेस) एप पर पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया और पर्ची काउंटर में अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ रहा है। उमस भरे मौसम के बीच जागरूकता के अभाव में मरीज व तीमारदार को पर्ची कटाने में ही 20 से 30 मिनट लग रहे हैं। अमर उजाला की टीम ने दो दिन सोमवार और मंगलवार को अस्पताल के टोकन काउंटर की पड़ताल की। इस दौरान मरीज परेशान और प्रक्रिया से जूझते नजर आए।

गांधीनगर अस्पताल का टिकट काउंटर अस्पताल के बेसमेंट में है। यहां पहली चुनौती वेंटिलेशन की है। उमस भरी गर्मी में वहां खड़े रहने में दिक्कत आती है। पंखे तो हैं लेकिन ज्यादा राहत नहीं देते हैं। कूलर खराब पड़ा है। अगली चुनौती एप पर पंजीकरण की है। पर्ची काउंटर से प्रतिदिन 500 से 600 पर्ची काटी जाती है। इसमें अधिकांश नए मरीज होते हैं। उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। मरीजों के साथ आए तीमारदारों के लिए एप पर पंजीकरण करने का स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। इससे परेशानी और बढ़ जाती है।

अस्पताल प्रशासन ने दो कर्मचारी लगाए हैं लेकिन मरीजों की भीड़ के मुकाबले यह व्यवस्था नाकाफी है।

मरीजों की भीड़ के मुकाबले दो कर्मचारियों की व्यवस्था नाकाफी

मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। टोकन काउंटर पर मरीजों को एप पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। वहां साउंड सिस्टम भी लगाए हैं। असुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा।

-डॉ. हमीद जरगर, स्वास्थ्य निदेशक

गांधीनगर अस्पताल के टोकन काउंटर पर पंजीकरण के लिए कर्मचारी के पास खड़े मरीज व तीमारदार। अमर उजाला

रोज 400 से 450 लोगों का एप के जरिये पंजीकरण

गांधीनगर अस्पताल में रोजाना 400 से 450 मरीज (ड्रीफकेस) एप के जरिये पंजीकृत होते हैं। यह संख्या बताती है कि अस्पताल में प्रतिदिन कितने मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इतने मरीजों की डिजिटल एंट्री के लिए सिर्फ दो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इससे पंजीकरण प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अधिकतर मरीजों को एप की जानकारी न होने से उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। भारी भीड़, तकनीकी जानकारी का अभाव और स्टाफ की कमी के कारण यह प्रक्रिया सुविधा के बजाय परेशानी का सबब बनती जा रही है। उधर, कर्मचारियों का कहना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। इसके बावजूद जितना हो सकता है पंजीकरण में मदद करते हैं।

मरीज बोले

झिड़ी से आए मरीज रोशन लाल ले कहा कि एप डाउनलोड करना और पंजीकरण करना मुश्किल है। यहां बताने वाले कर्मी हैं लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। अगर वीडियो या लिखित माध्यम से जानकारी हो, तो सुविधा मिलेगी। तीमारदार सोहन सिंह ने कहा कि मोबाइल एप की सुविधा अच्छी है लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया जटिल है। मदद के लिए स्टाफ कम है।

विधायक के बेटे ने पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने का किया प्रयास

- आलीराजपुर की घटना, जोबट विधायक सेना पटेल के बेटे के खिलाफ एफआइआर

सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही काले रंग की एसयूवी। वीडियो ग्रैब

नवदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर : जोबट की कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज ने शहर में बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने उससे एसयूवी कार की रफ्तार धीमी करने को कहा था। घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। पुलिस की ओर से एफआइआर दर्ज किए जाने के बाद से आरोपित पुष्पराज फरार हो गया है। पुलिस की टीमें उसे तलाश रही हैं।

घटना 13 जुलाई की रात की है। जोबट से कांग्रेस विधायक का बेटा पुष्पराज बिना नंबर की अपनी एसयूवी कार से बस स्टैंड से गुजर रहा था। इसी बीच रात में गश्त कर रहे दो आरक्षकों ने पुष्पराज को गाड़ी की रफ्तार धीरे करने का इशारा किया, लेकिन आरोप है कि उसने तेज रफ्तार कार आरक्षकों की ओर मोड़ दी, जिससे ड्यूटी पर तैनात आरक्षक राकेश अनारे घायल हो गए। दूसरे आरक्षक ने दूसरी ओर कूदकर खुद को बचाया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में एमजी रोड की ओर से तेज रफ्तार कार बस स्टैंड चौराहा की ओर आती दिखाई दे रही है, जो सीधे आरक्षकों की ओर आई और फिर चौराहे की रोटरी के पास लगे पोल से टकरा गई। वीडियो में एसडीओपी अश्विन कुमार का वाहन भी दिख रहा है। एसडीओपी आरक्षकों से बात करते नजर आए।

> आरक्षक की शिकायत पर आरोपित पुष्पराज पटेल के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 व शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपित फरार है। टीमें उसे तलाश रही हैं। जल्द ही आरोपित पुलिस की गिरफ्त में होगा।
>
> –राजेश व्यास, पुलिस अधीक्षक, आलीराजपुर

महाराष्ट्र में पहचान पत्र दिखाने पर भी मतुआ परिवार उत्पीड़ित!

संवाददाता, कोलकाता

एक बार फिर, तृणमूल कांग्रेस की ओर से भाजपा शासित राज्य में बांग्ला भाषी एक परिवार को उत्पीड़ित किये जाने का आरोप लगाया गया है. सांसद व तृणमूल नेता समीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, वे मतुआ समुदाय से जुड़े हैं. उनके पास वैध पहचान पत्र के अलावा केंद्रीय मंत्री और मतुआ संघपति शांतनु ठाकुर के हस्ताक्षर वाले कार्ड होने के बावजूद, उन्हें पुणे में पुलिस द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. इस संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने भी तृणमूल पर उंगली उठायी है. उनका आरोप है कि तृणमूल मतुआ समुदाय से जुड़े लोगों को नागरिकता देने के लिए केंद्र के कानून का पालन नहीं कर रही है. मंगलवार को, सांसद इस्लाम ने 'एक्स' पर एक पोस्ट किया कि मतुआ समुदाय से जुड़े युवक आरुष अधिकारी और उनके परिवार को भाजपा शासित महाराष्ट्र के पुणे जाने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. यह चौंकाने वाला है कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर स्वयं मतुआ हैं. मतुआ परिवार के पास आधार कार्ड के साथ-साथ अखिल भारतीय मतुआ महासंघ (एआइएमएम) द्वारा जारी एक पहचान पत्र भी था, जिस पर स्वयं केंद्रीय मंत्री के हस्ताक्षर थे.

प्रवासी श्रमिकों को जबरन बंगाल वापस भेजने की निंदा

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नौ प्रवासी श्रमिकों को हिरासत से रिहा करने के बाद उन्हें राज्य छोड़ने के लिए ‘मजबूर’ करके संविधान का उल्लंघन किया. ये प्रवासी श्रमिक पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित महुआ के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर के निवासी बताये जा रहे हैं. इन्हें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से गिरफ्तार किया गया था.

इधर, राज्यसभा सदस, तृणमूल व मतुआ समुदाय की नेता ममता बाला ठाकुर ने इस पर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा : केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर द्वारा हस्ताक्षरित मतुआ महासंघ कार्ड होने के बावजूद, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने हाबरा विधानसभा क्षेत्र के मतुआ समुदाय के निवासी आरूष और उसके परिवार को बांग्ला बोलने के कारण बांग्लादेशी करार दिया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री ठाकुर, केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व पर मतुआ समुदाय के साथ राजनीति करने का भी आरोप लगाया.

PRABHAT KHABAR, Kolkata, 16.7.2025
Page No. 10, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

यौन शोषण के मामले में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महिला से यौन शोषण के आरोप में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु' (आरसीबी) के लिए खेलने वाले 27 वर्षीय दयाल द्वारा दायर उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था.

याचिकाकर्ता के वकील गौरव त्रिपाठी ने 'पीटीआइ-भाषा' को बताया कि अदालत ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. दयाल के खिलाफ प्राथमिकी छह जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (झांसा देकर यौन संबंध बनाने) के तहत गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाना में दर्ज की गयी थी जिसमें एक महिला ने दयाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों करीब पांच साल पहले मिले थे और दयाल ने उससे शादी करने का वादा किया था. कथित पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि दयाल शादी करने का उसका प्रस्ताव टालता रहा और अंततः उसे पता चला कि दयाल का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है. यह शिकायत शुरुआत में मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल (आइजीआरएस) पर 21 जून को की गयी थी.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRABHAT KHABAR, Patna, 16.7.2025
Page No. 16, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

मगध मेडिकल के इमरजेंसी वार्ड में आग, मरीजों में भगदड़

गया जी. एएनएमएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में मंगलवार की दोपहर अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब एक कमरे में एसी के तार में आग लग गयी. आग की खबर फैलते ही मरीज परिजनों के सहारे और कुछ खुद भी भागकर बाहर निकलने लगे. आश्चर्य की बात यह रही कि तीन दिनों से बेहोश पड़े मरीज भी आग की सूचना पाकर जाग उठे और बाहर की ओर दौड़ पड़े. अस्पताल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए फायर सिलिंडर की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया. आग लगने की जगह इमरजेंसी वार्ड के मेडिसिन वार्ड के नजदीक थी, जिससे पूरे अस्पताल में कुछ ही देर में धुआं फैल गया. निचले तल्ले पर स्थित आइसीयू

बगल में होने के कारण वहां भर्ती मरीजों को भी तुरंत सुरक्षित सर्जरी वार्ड में शिफ्ट किया गया.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

I NEXT, Jamshedpur, 16.7.2025
Page No. 1, Size:(10.98)cms X (8.53)cms.

फटकार अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से ऊपर है जीवन का अधिकार

किसी को कुछ भी कह देते हैं, कैसे चलेगा!

दूसरे के अधिकार व कर्तव्यों का संतुलन बनाते हुए गाइडलाइन तैयार हो

newsroom@inext.co.in

सोशल मीडिया पर लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, हमें इस पर कुछ करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया पर अनियंत्रित व्यवहार और अभिव्यक्ति पर चिंता जताते हुए इस संबंध में नियमों की आवश्यकता का संकेत दिया. इस पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस पर बनाए गए आपत्तिजनक कार्टून को अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग बताया था. कोर्ट ने कार्टूनिस्टों और स्टैंडअप कामेडियनों द्वारा कुछ भी कहने पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी कि क्या ये लोग कुछ सोचते नहीं हैं?

ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेट करें

वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने हास्यकलाकारों और पाडकास्टरों से संबंधित याचिका पर सुनवाई की. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी कुछ भी कहने या अभिव्यक्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. मंगलवार को कोर्ट ने इस तरह के आचरण पर सवाल उठाते हुए आनलाइन सामग्री को रेगुलेट करने के लिए दिशा निर्देश तय करने के संकेत दिए. कोर्ट ने आनलाइन सामग्री को रेगुलेट करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित तंत्र संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता और अधिकारों व कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित हो.

कार्टूनिस्ट मालवीय को चेताया

वहीं मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हुए मंगलवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसे अंतरिम राहत तो दे दी लेकिन इंटरनेट मीडिया पर अनियंत्रित व्यवहार और आपत्तिजनक पोस्टों पर चिंता जताई.

जातीय आधार पर निर्भर दल देश के लिए खतरनाक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जातीय आधार पर निर्भर राजनीतिक पार्टियां देश के लिए समान रूप से खतरनाक हैं. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने उस अर्जी पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन रद करने की मांग की गई थी. पीठ ने कहा कि एआइएमआइएम के संविधान के अनुसार, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समेत समाज के हर पिछड़े वर्ग के लिए काम करना है, जिसका संविधान में उल्लेख है. पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन से कहा, 'पार्टी का कहना है कि वह समाज के हर पिछड़े वर्ग के लिए काम करेगी.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

I NEXT, Bareily, 16.7.2025
Page No. 3, Size:(2.58)cms X (15.17)cms.

लापरवाही करने वाले चिकित्सकों की जांच तेज

bareilly@inext.co.in

BAREILLY (15 July): स्वास्थ्य विभाग के पांच वरिष्ठ चिकित्सकों के खिलाफ चल रही जांच तेज हो गई है. इन सभी पर अधिकारियों का निर्देश न मानने, कार्य में लापरवाही और गैरहाजिर रहने के आरोप हैं. जांच एडी हेल्थ कर रही हैं, जिन्हें सचिव ने 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

अलग-अलग जिलों में तैनात

पांच चिकित्सकों में से चार मंडल के अलग-अलग जिलों में तैनात रहे हैं. इसमें एक चिकित्सक गोंडा मंडल में तैनात हैं. सचिव रितु माहेश्वरी ने बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आनलाइन कांफ्रेंस की, जिसमें जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए थे. ऐसे में जांच अधिकारियों ने संबंधित चिकित्सकों के बयान दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है. जांच के दायरे में आए चिकित्सकों में डा. विनय कुमार (अधीन सीएमओ बरेली) पर गैरहाजिर रहने, डा. विकास कुमार सोनकर (अधीन सीएमओ पीलीभीत) पर अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने, अनधिकृत रूप से गैरहाजिर रहने, डा. एमके गुप्ता (बरेली मंडल) पर कर्तव्यों में लापरवाही, डा. ओम प्रकाश (बरेली मंडल) पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का आरोप है. वहीं, महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच के बालरोग विशेषज्ञ डा. एहतिशाम अली के विरुद्ध दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अभद्र व्यवहार करने, सरकारी आवास पर निजी प्रैक्टिस करने का आरोप है. इन सभी की जांच चल रही है.

> शासन स्तर से जारी पत्र प्राप्त हुआ है. कई चिकित्सकों के मामले पुराने हैं, जिनकी फाइल देखी जाएगी. जांच को जल्द पूरा करने का प्रयास है.
>
> **डॉ. साधना अग्रवाल**, एडी हेल्थ

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

I NEXT, Ranchi, 16.7.2025
Page No. 3, Size:(5.38)cms X (10.31)cms.

हाई कोर्ट में मानवाधिकार मिशन के 5 पैनल अधिवक्ता

PIC: DAINIK JAGRAN I NEXT

कानूनी सहायता कमिटी को मिलेगी मजबूती

RANCHI (15 July) : मानव अधिकार मिशन की झारखंड प्रदेश इकाई ने उच्च न्यायालय से संबंधित लीगल एडवाइजर कमिटी के लिए पांच अधिवक्ताओं की नियुक्ति की अनुमति प्राप्त की. यह निर्णय मिशन के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता पी के लाला द्वारा दिए गए पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से पारित किया गया. नए पैनल में शामिल हैं: नमित कुमार (अधिवक्ता) – अध्यक्ष, प्रीति सिंहा, सोनाली भट्टाचार्य, भूपेंद्र सिंह एवं अनंत विक्रम (सभी अधिवक्ता) – सदस्य. इनकी नियुक्ति से न्यायालय में मिशन की कानूनी सलाह क्षमता और मजबूत होगी.

महत्वपूर्ण उपस्थिति

इस अवसर पर मानव अधिकार मिशन की झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सोहिनी राय उपस्थित रहीं. उन्होंने अधिवक्ताओं का स्वागत करते हुए उन्हें मिशन की कानूनी सहायता पहल में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया. संयुक्त रूप से, मिशन का उद्देश्य राज्य में मानव अधिकारों का संवर्द्धन करना है—यह नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. समाजसेवी शिव किशोर शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की. उन्होंने बताया कि जल्द ही यह कमिटी मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालय में प्रकट होकर पीड़ितों को विधिक सहारा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करेगी. कमिटी की पहली बैठक में कार्यवाई के तरीके, प्राथमिक मामले और सहयोग के मापदंड तय किए जाएंगे. यह पहल मिशन की सक्रियता दर्शाती है और झारखंड में मानव अधिकार संरक्षण को और मजबूत करेगी. इस समेकित निर्णय से मिशन की कानूनी प्रभावशीलता बढ़ेगी और न्यायालय में मानवाधिकार सम्बंधित मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई जा सकेगी.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

I NEXT, Kanpur, 16.7.2025
Page No. 7, Size:(12.05)cms X (12.57)cms.

बेंगलुरु में छात्रा से रेप, 2 लेक्चरर सहित 3 अरेस्ट

छात्रा की शिकायत पर केस, वीडियो दिखाकर आरोपित कर रहे थे ब्लैकमेल

newsroom@inext.co.in

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसके दो लेक्चरर और उनके दोस्त ने मिलकर कई बार दुष्कर्म किया. मामला तब सामने आया जब छात्रा ने तंग आकर परिजनों को पूरी बात बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

नोट्स के बहाने बुलाया था

मराठाहल्ली पुलिस के मुताबिक, पीड़िता भौतिक विज्ञान के लेक्चरर नरेंद्र, जीव विज्ञान के लेक्चरर संदीप और उनके दोस्त अनूप को जानती थी. नरेंद्र ने उसे नोट्स देने के बहाने शहर बुलाया और एक फ्लैट में उसके साथ जबरदस्ती की. इसके बाद संदीप ने उस घटना का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और खुद भी दुष्कर्म किया. तीसरे आरोपी अनूप ने भी धमकी देकर छात्रा का शोषण किया. उसने कहा कि उसके पास पीड़िता के कमरे में आने का सीसीटीवी फुटेज है.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मराठाहल्ली थाने में उनके खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, ब्लैकमेलिंग और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

महिला आयोग की सख्ती

कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी और भी छात्राओं को ब्लैकमेल कर शोषण कर सकते हैं.

दोनों लेक्चरर और दोस्त अरेस्ट.

ओडिशा की छात्रा ने किया आत्मदाह, एम्स में मौत

ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज की 20 वर्षीय बीएड की छात्रा ने यौन उत्पीड़न और कार्रवाई न होने से परेशान होकर कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली. वह 95 प्रतिशत तक जल गई थी और इलाज के दौरान एम्स भुवनेश्वर में सोमवार रात उसकी मौत हो गई.

एचओडी पर लगा आरोप

छात्रा ने विभागाध्यक्ष समीरा कुमार साहू पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. शनिवार को छात्रा ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. पहले बालासोर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, फिर हालत बिगड़ने पर एम्स रेफर किया गया.

5 जुलाई को केस दर्ज हुआ

यह घटनाएं एक महीने पहले हुई थीं, लेकिन छात्रा ने हाल ही में अपने माता-पिता को जानकारी दी. इसके बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग को शिकायत दी गई.

प्रिंसिपल गिरफ्तार

पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है. छात्रा की मौत के बाद ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवति परिदा एम्स पहुंचीं और परिजनों से मिलकर संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

चार सदस्यीय जांच समिति

घटना के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है. यह समिति संस्थागत नीतियों, शिकायत निवारण प्रणाली और यौन उत्पीड़न रोकथाम उपायों की जांच करेगी.

सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

ओडिशा और बेंगलूरू दोनों मामलों ने एक बार फिर देश में कॉलेज परिसरों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जब शिक्षक ही दरिंदा बन जाए और शिकायत के बाद भी सिस्टम चुप रहे, तो छात्राओं को कहां जाएं? अब देश भर से यह मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द सजा दी जाए ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ा सबक.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

I NEXT, Patna, 16.7.2025
Page No. 9, Size:(5.37)cms X (6.57)cms.

17 साल के आरोपी पर अडल्ट की तरह मुकदमा

पिछले वर्ष 19 मई को नशे की हालत में पोर्श कार चलाने, दो लोगों को कुचलने का आरोप

PUNE(15 July,Agency): किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि पिछले साल पुणे में नशे की हालत में पोर्श कार चलाने और दो लोगों को कुचलने के आरोपित 17 वर्षीय लड़के पर नाबालिग की तरह मुकदमा चलाया जाएगा. राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने वाली यह दुर्घटना पिछले साल 19 मई को कल्याणी नगर इलाके में हुई थी. इसमें मोटरसाइकिल सवार आइटी पेशेवर अनीश अवधिया और उनके दोस्त अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी. इस मामले में अब अडल्ट की तरह मुकदमा चलेगा.

मुकदमा चलाने की मांग

पुणे पुलिस ने पिछले साल आरोपित पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी. पुलिस का कहना था कि उसने एक "जघन्य" कृत्य किया है मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपित लड़के पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की पुलिस की याचिका खारिज कर दी.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HARI BHOOMI, Raipur, 16.7.2025

Page No. 2, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

19 छात्राओं की बैडटच की शिकायत, तालाबंदी के बाद प्राचार्य गिरफ्तार

मुड़ागांव। गरियाबंद जिले के आदिवासी ब्लॉक छुरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल अकलवारा के प्रभारी प्राचार्य जीपी वर्मा को छात्राओं से छेड़छाड़ और विभिन्न स्कूल फंडों में लाखों रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (बी), पॉक्सो एक्ट की धारा 12 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार जीपी वर्मा पर आरोप है कि वे आशिक मिजाज और शराब के शौकीन थे। और जिस भी स्कूल में उन्होंने सेवा दी, वहां छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप लगते रहे। सेवानिवृत्ति के करीब होने के बावजूद उनकी हरकतें जारी रहीं। इसके अतिरिक्त, वर्मा पर लोकल क्लास के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों में हेराफेरी करने का भी आरोप है, जिसके विरोध में स्कूल में तालाबंदी भी की गई थी।

जांच आयोग की रिपोर्ट और गिरफ्तारी

राज्य आयोग की एक जांच टीम ने मामले की गहनता से जांच की, जिसमें सत्रह छात्राओं ने सामने आकर जीपी वर्मा द्वारा की गई अश्लील हरकतों का खुलासा किया। आयोग की जांच रिपोर्ट के आधार पर छुरा पुलिस ने जीपी वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HARI BHOOMI, Raipur, 16.7.2025

Page No. 5, Size:(30.94)cms X (21.88)cms.

यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा की मौत, मचा घमासान

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में कार्रवाई न होने से शनिवार को कालेज परिसर में आत्मदाह किया था। इसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर में भर्ती करवाया गया था। छात्रा ने ओडिशा के बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में कॉलेज के एक विभाग के विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। छात्रा के पिता का कहना है कि जांच समिति ने गलत रिपोर्ट देकर उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया।

राहुल सहित विपक्ष ने ओडिशा की भाजपा सरकार पर साधा निशाना

भुवनेश्वर। छात्रा के पिता ने कहा, 'हम न्याय माँग रहे हैं। सिर्फ़ उन दोनों को अरेस्ट करने से नहीं होगा। वास्तव में ग़लत रिपोर्ट देकर मेरी बच्ची को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। इंटरनल कमिटी के मेंबर अपराधी हैं। सरकार से विनती है कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख़्त क़दम उठाए जाएं।' बालासोर पुलिस ने कहा है कि वो इंटरनल कमिटी की रिपोर्ट का भी अध्ययन करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में सभी दोषियों के ख़िलाफ़ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छात्रा के आत्मदाह के बाद प्राचार्य दिलीप कुमार घोष और सहायक प्रोफ़ेसर (स्टेज-I) समीरा कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है।

- **पिता बोले - आत्महत्या के लिए किया गया मजबूर**

कांग्रेस समेत 8 पार्टियों ने किया बंद का आह्वान

इस मामले में अब कांग्रेस के नेतृत्व में आठ विपक्षी दलों ने 17 जुलाई को एक दिन के लिए ओडिशा बंद का आह्वान किया है। इस घटना की जानकारी देते हुए ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि ओडिशा बंद को वाम दलों सहित आठ दलों का समर्थन प्राप्त है।

सिस्टम द्वारा की गई हत्या : राहुल

ओडिशा के बालासोर में यौन उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा के आत्मदाह करने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रा की मौत को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे-सीधे भाजपा के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय, उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार-बार अपमानित किया गया। राहुल ने कहा कि जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी, वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह भाजपा का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं। और आप खामोश बैठे हैं?

ओछी राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण : प्रधान

राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का ओडिशा की बेटी के साथ हुई दुखद घटना पर ओछी राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर और संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाना राहुल गांधी की सस्ती मानसिकता को दर्शाता है। ओडिशा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का मौका बना लिया है।

RASHTRIYA SAHARA, Patna, 16.7.2025
Page No. 9, Size:(8.82)cms X (6.95)cms.

ओडिशा : आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत

भुवनेश्वर (भाषा)। एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर 'यौन उत्पीड़न' किए जाने के मामले में न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दम तोड़ दिया। अस्पताल ने यह जानकारी दी।

बालासोर के फकीर मोहन (स्वायत्त) महाविद्यालय की एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने तीन दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद सोमवार रात दम तोड़ दिया। शिक्षक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई

■ मुख्यमंत्री ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही

नहीं किए जाने से आहत छात्रा ने शनिवार को यह कदम उठाया और वह 95 प्रतिशत तक झुलस गई थी। छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि मामले में सभी दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। छात्रा को पहले बालासोर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर बेहतर उपचार के लिए भुवनेश्वर स्थित एम्स भेज दिया गया। अधिकारियों के अनुसार 'बर्न सेंटर' विभाग की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में उसका उपचार किया जा रहा था। 'बर्न सेंटर' ने एक बयान में कहा, 'मरीज को 'फ्लूइड्स' (अंतरशिरा तरल) और 'एंटीबायोटिक्स' (संक्रमण को खत्म करने वाली दवा) दी गई, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। विभाग के आईसीयू में उपचार किया गया और गुर्दे की 'रिप्लेसमेंट थेरेपी' सहित सभी संभव सहायक उपायों के बावजूद, उसे बचाया नहीं जा सका और 14 जुलाई की रात 11 बजकर 46 मिनट पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।'

भाजपा के सिस्टम ने की छात्रा की हत्या, प्रधानमंत्री जवाब दें : राहुल

नई दिल्ली (भाषा)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा के "सिस्टम" ने इस लड़की की हत्या की है।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विषय पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बल्कि जवाब देना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर "यौन उत्पीड़न" किए जाने के मामले में न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने वाली छात्रा ने तीन दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सोमवार रात दम तोड़ दिया। वह बालासोर के फकीर मोहन (स्वायत्त) महाविद्यालय की एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। शिक्षक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से आहत छात्रा ने शनिवार को यह कदम उठाया और वह 95 प्रतिशत तक झुलस गई थी।

Hindu

As Assam CM defends eviction drives, Opposition sniffs ploy to clear space for corporate houses

https://www.thehindu.com/news/national/assam/as-assam-cm-defends-eviction-drives-oppn-sniffs-ploy-to-clear-space-for-corporate-houses/article69816480.ece

Updated - July 16, 2025 01:42 am IST - GUWAHATI

Rahul Karmakar

Villagers walk past the debris of their houses, demolished during an eviction drive in Assam's Goalpara district on July 12.

Jiten Gohain is the head of one of 218 families evicted during a drive the authorities in Assam's Lakhimpur district carried out on July 3 to reclaim 78 acres of Village Grazing Reserve (VGR) land across four locations.

On July 8, the district's Sub-Divisional Land Advisory Committee approved the allotment of 1.5 kathas (4,320 sq. ft) of land each to 21 families evicted, in one of the fastest such exercises. Among them were 12 belonging to the Ahom community, which is seeking Scheduled Tribe status, to which Mr. Gohain belongs.

District Commissioner Pronab Jit Kakoty said the eviction drive was conducted following "due process". He said the affected families, which failed to produce land ownership documents, were served notices on June 29.

"I had a larger plot from where we were evicted, but the government has at least provided some space," Mr. Gohain said.

Abul Hasan Sheikh, one of some 200-odd Bengali-speaking Muslim families evicted from Lakhimpur, is not sure if the government would be equally "generous" to provide him an alternative plot. He is originally a resident of western Assam's South Salmara-Mankachar district along the border with Bangladesh.

Chief Minister Himanta Biswa Sarma named him and at least a dozen others from faraway districts – most of them Muslim-majority – to underline the alleged "agenda of demographic invasion by strategically occupying lands in areas dominated by indigenous communities".

"An analysis has revealed that the families evicted from Lakhimpur included 76 from Barpeta, 63 from Nagaon, seven from Goalpara, and two from South Salmara-Mankachar. Why should someone from South Salmara go to Lakhimpur instead of going to West Bengal, about 50 km away?" Mr. Sarma told reporters on Tuesday.

'Voter list deletions'

The Chief Minister said more than 50,000 people have been evicted from "protected areas, wetlands, VGR and PGR (Professional Grazing Land), government khas (land

owned by the government that has not been settled) and wasteland, and those belonging to satras (Vaishnav monasteries) and namghars (prayer halls)" over the past few weeks.

According to the State's Revenue and Disaster Management Department, the Assam Land and Revenue Regulation of 1986, the Land Policy of 1989, and a 2011 Supreme Court judgment mandate protection of government and village common lands. It also cites the violation of the Assam Land Grabbing (Prohibition) Act of 2010 as a punishable offence.

After the BJP came to power in Assam in May 2016, the first eviction drive was carried out in three fringe villages of Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Two persons, including a minor girl, were killed during the eviction based on a Gauhati High Court order in September 2016.

"Most of those evicted are listed as voters in places from where they came. We have asked the authorities from where they were evicted to delete their names from the electoral rolls to eliminate duplicate names," Mr. Sarma said.

Citing the case of the 12 Ahom families, the All Assam Minority Students' Union has demanded rehabilitation for the evicted Muslim families. It claimed many people had lands they were evicted from before these were declared as reserve forests.

The Opposition parties have criticised the eviction drive for disproportionately targeting the minority communities. "The Supreme Court and the National Human Rights Commission should take note of the eviction during the court holidays in Assam to target poor Muslims. The government must first provide adequate rehabilitation and only then undertake eviction," All India United Democratic Front MLA Rafiqul Islam said.

"The BJP government has been projecting the evicted people as Bangladeshi. The government provided a compensation package of ₹14.72 crore to 332 families evicted from Kaziranga. People evicted [in 2021] for the Gorukhuti project [Darrang district] were compensated and given land in the Dalgaon area. Why is the government doing so if these people are Bangladeshi?" Congress leader and advocate Aman Wadud said.

Others pointed out that the Dhubri district administration has asked 1,400 families displaced from Chapar town, reportedly to make space for a thermal power plant by the Adani Group, to relocate to a sandbar in the middle of the Brahmaputra river.

'Politics of polarisation'

"The eviction is being carried out for two reasons. Firstly, they want to clear land for corporate houses. Secondly, evicting minorities paves the way for the politics of polarisation... so that the Hindu voters back the BJP, especially in eastern Assam, where it is facing challenges," Raijor Dal MLA Akhil Gogoi said.

Lurinjyoti Gogoi, the chief of Assam Jatiya Parishad (AJP), said eviction drives are a form of the tried-and-tested ploy of weaponising the "Bangladeshi issue" before the poll.

The Assembly poll in Assam is due by May 2026.

“The Chief Minister claims he is doing everything for the indigenous people. In reality, more tribal families have been evicted than the Muslims. In Karbi Anglong, 20,000 Adivasi, Karbi, and Naga families have been evicted to hand over 18,000 bighas of land to the Reliance Group,” the AJP leader claimed. In Assam, one bigha is equivalent to 14,400 sq. ft.

He also cited 9,000 bighas of land “to be handed over to the Adani Group” in Dima Hasao district, 45 bighas “taken away” from the Adivasis for a hotel project near Kaziranga, and 75 bighas for a Patanjali project in the Golaghat district. “It is evident why the government is on a land acquisition spree. Of the 49,000 bighas cleared, only 6,000 bighas were under the occupation of the religious minorities,” the AJP leader said.

The New Indian Express

NHRC asks Balasore SP to submit report

The Commission also directed the district collector and chief district medical officer (CDMO) to apprise it about the medical care provided to the victim.

https://www.newindianexpress.com/cities/bhubaneswar/2025/Jul/15/nhrc-asks-balasore-sp-to-submit-report

Express News Service | Updated on: 15 Jul 2025, 9:30 am

1 min read

BHUBANESWAR: The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday directed the Balasore SP to submit a report within 15 days in connection with the self-immolation of a second year integrated BEd student of Fakir Mohan (Autonomous) College who is battling for her life at AIIMS-Bhubaneswar here.

“District SP is directed to furnish a report along with all the materials before the Commission within a period of 15 days,” NHRC stated in its order. The Commission also directed the district collector and chief district medical officer (CDMO) to apprise it about the medical care provided to the victim.

NHRC’s order came after it received a complaint in this regard from chairperson of Human Rights Front India, Manoj Jena, seeking a high-level inquiry into the matter.

“From the allegations made, prima facie it is observed that a female student of Fakir Mohan (Autonomous) College in Balasore attempted self-immolation after facing sexual harassment by a professor,” said the Commission.

News18

First KIIT Row, Now Balasore Student's Self-Immolation: Why Odisha CM Mohan Majhi Is On His Own

https://www.news18.com/politics/first-kiit-row-now-balasore-students-self-immolation-why-odisha-cm-mohan-majhi-is-on-his-own-ws-kl-9442000.html

Reported By : Anindya Banerjee | News18.com

Edited By: Manjiri Joshi | Last Updated:July 15, 2025, 16:10 IST

Odisha CM Mohan Charan Majhi is under attack over the self-immolation of a 20-year-old Balasore student who had complained of sexual harassment

Last June, in Odisha's Janata Maidan, in front of a crowd of 30,000 and in the presence of Bharatiya Janata Party's top leadership, including Prime Minister Narendra Modi, Mohan Charan Majhi took oath as the BJP's first Chief Minister of Odisha.

Barely 13 months later, his political ride has gotten rough.

Both the opposition Biju Janata Dal (BJD) and Congress are gunning for him. At the heart of it is a 20-year-old woman's overlooked complaint of sexual harassment, which forced her to take her life and is now making national headlines.

The 20-year-old girl, who was doing a BEd course, set herself on fire outside the principal's office during a protest. She was upset because her complaint against a teacher was not being addressed.

Taking note of the issue, during her visit to the hospital for its fifth convocation, President Droupadi Murmu also visited the woman at AIIMS Bhubaneswar on Monday. Within hours, she passed away.

Odisha CM faces toughest test: Similar case reported earlier this year

Before the victim of Fakir Mohan Autonomous College took the extreme step, a similar case had rocked Odisha earlier this year.

A 20-year-old Nepalese student at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) in Bhubaneswar reported sexual harassment and blackmail by another student, but the university's International Relations Office (IRO) and disciplinary committee failed to act adequately, disposing of the complaint casually, without referring it to the Internal Complaints Committee or police. The National Human Rights Commission (NHRC) had to step in and found it to be a case of gross negligence, amounting to abetment of suicide. The matter had international ramifications with Nepal getting involved.

Central bodies involved in Balasore case

In politics, messaging matters and particularly in this case, the BJP has tried to hyphen itself with Majhi’s administration. The NHRC and National Commission for Women (NCW) — both central bodies — have taken cognisance of the matter.

“District SP is directed to furnish a report along with all the materials before the Commission within a period of 15 days," NHRC stated in its order. The Commission also directed the district collector and chief district medical officer (CDMO) to apprise it about the medical care provided to the victim while she was alive.

The NCW, recently called the event “deeply disturbing" while asking the Odisha DGP for report on what action the state has taken within next three days.

It is rather unusual for central bodies to act with such promptness when the crime has taken place in a state that is ruled by the ruling party — an allegation many opposition parties such as the TMC, SP have often made.

BJP’s core voter base is women

Women have emerged as the BJP’s core voter base over the past few years. Schemes, too, have been customised to cater to them — Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, One Stop Centres, Beti Bachao Beti Padhao, Mahila Shakti Kendra, Working Women Hostel, among others. States, too, have followed suit and wooed women in Madhya Pradesh, Maharashtra, Delhi successfully.

the state’s law and order deficiency, hurt that image.

Amid the BJD and Congress’s demand for a judicial inquiry and the BJP leaving Manjhi to fend for himself, the four-time MLA from Keonjhar faces his toughest test.

Scroll.in

Odisha: Student who set herself on fire alleging inaction on sexual harassment complaint dies

The student had accused Samir Kumar Sahu, an assistant professor, of seeking ‘undue and inappropriate favours’.

https://scroll.in/latest/1084510/odisha-student-who-set-herself-on-fire-alleging-inaction-on-sexual-harassment-complaint-dies

Scroll Staff 13 hours agoUpdated 8 hours ago

An undergraduate student, who set herself on fire after her complaint of sexual harassment by a faculty member in Odisha’s Balasore district allegedly went unaddressed, succumbed to her injuries on Monday, The Hindu reported.

A bulletin from the All India Institute of Medical Sciences in Bhubaneswar said that the student could not be revived and was declared clinically dead at 11.46 pm “despite adequate resuscitation and all possible supportive management, including renal replacement therapy at Burns ICU”.

The student had set herself on fire on campus on Saturday shortly after meeting Dilip Ghosh, the principal of Fakir Mohan Autonomous College, to follow up on her complaint against Samir Kumar Sahu, an assistant professor.

Sahu was arrested on Saturday and sent to judicial custody. He is facing charges of abetment to suicide, criminal intimidation, sexual harassment, stalking and outraging the modesty of a woman.

On Monday, the police also arrested Ghosh on charges of abetment to suicide. This came a day after the state higher education department suspended him for alleged negligence.

The 20-year-old student had accused Sahu of seeking “undue and inappropriate favours” and threatening to jeopardise her academic future if she refused. She also alleged that she was being stopped from attending classes.

The student had first submitted a written complaint to the internal complaints committee of the college on June 30. She had also told the authorities that she was under extreme mental stress.

On July 1, she filed a police complaint, on which no action was reportedly taken.

Her father has alleged that the principal had pressured her to withdraw the complaint instead of taking disciplinary action, The Indian Express reported.

Balasore Superintendent of Police Raj Prasad on Sunday said that a special team has been formed to investigate the matter. Responding to questions about the delay in taking action, Prasad said that the police had approached the internal complaints committee after receiving the complaint.

The committee had said that it would submit a report within five days, he claimed.

Following the death of the student, Chief Minister Mohan Charan Majhi expressed his condolences to her family. “Despite the government fulfilling all responsibilities and the relentless efforts of the team of specialist doctors, her life could not be saved,” he said on social media.

“I assure the family of the deceased student that all those guilty in this case will face the stringent punishment as per the law,” the Bharatiya Janata Party leader added. “For this, I have personally issued instructions to the authorities. The government stands firmly with the family.”

Opposition calls for Odisha bandh

Eight Opposition parties in Odisha, including the Biju Janata Dal and the Congress, called for a state-wide strike on Thursday over the student’s death, ANI reported.

The Opposition demanded a judicial inquiry into the matter and the resignation of the state's higher education minister.

Congress leader Rahul Gandhi said that the student’s death was “nothing less than a murder by the BJP’s system”.

Instead of delivering justice, the student had been threatened, tormented and repeatedly humiliated, Gandhi said. “As always, the BJP’s system continued to shield the accused – and forced an innocent daughter to set herself on fire,” he added.

Former Chief Minister Naveen Patnaik said on Tuesday that the “most painful part is that this was not an accident, but rather the result of a system that remained silent instead of helping”.

“…The entire sequence of events reveals that this is nothing less than institutional betrayal – a planned injustice,” he said.

The National Human Rights Commission and the National Commission for Women have taken cognisance of the matter, The Hindu reported. Additionally, the Crime Against Women and Children Wing of the Odisha Police is conducting a separate investigation into the matter.

The state government on Monday also asked all colleges to form internal complaint committees within 24 hours. The 2013 Sexual Harassment of Women at Workplace Act requires all organisations with 10 or more employees to set up such committees.

Republic World

20-Year-Old Balasore Student Who Set Herself Ablaze Over Harassment Dies at AIIMS After 48-Hour Battle; Odisha CM Pledges Justice

Protests erupt, political storm grips Odisha after AIIMS confirms death of the student. Odisha CM Mohan Charan Majhi has assured the family of harshest punishment for the guilty.

https://www.republicworld.com/india/20-year-old-balasore-student-who-set-herself-ablaze-over-harassment-dies-at-aiims-after-48-hour-battle-odisha-cm-pledges-justice

India News | 4 min read | Reported by: Moumita Mukherjee

The 20-year-old BEd student from Fakir Mohan Autonomous College in Balasore, who set herself ablaze on July 12 on the campus alleging inaction over her harassment complaints, died late Monday night at AIIMS Bhubaneswar after 48-hour long battle in the ICU.

The student, who had set herself on fire outside the Principal's office during a protest, suffered critical burn injuries and was admitted to AIIMS.

"Despite adequate resuscitation and all possible supportive management including renal replacement therapy at Burns ICU, she could not be revived and was declared clinically dead at 11:46 PM on July 14," according to an official bulletin from the hospital.

CM Condoles, Promises Justice

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi expressed deep sorrow over the student's death and pledged strict action against those responsible. In a statement posted on social media platform X, he said, "Despite the government's fulfilment of all responsibilities and the tireless efforts of the expert medical team, the victim's life could not be saved. I pray for the eternal peace of her departed soul and beseech Lord Jagannath to grant strength to her family to bear this irreparable loss."

The Chief Minister further assured that he has personally instructed the authorities to take the strictest legal action against the guilty. "I assure the family of the deceased student that all those guilty in this case will face the strictest punishment as per the law…the government stands firmly with the bereaved family," the CM wrote.

Political Tensions Escalate

After the news about the death of the student broke last night, protests erupted near AIIMS Bhubaneswar as her mortal remains were moved for postmortem. BJD and Congress workers alleged that the government was attempting to hush up the case by rushing the autopsy and transportation of the body to Balasore.

Police deployed additional forces in Bhubaneswar and along the route to Balasore to prevent unrest. The autopsy was completed late at night before the body was sent home.

Deputy CM Pravati Parida and several BJP MLAs visited AIIMS to pay their respects.

Former Chief Minister Naveen Patnaik weighed in, stating that the student was denied justice at every level.

President's Visit Hours Before Death

President Droupadi Murmu, who was in Bhubaneswar to attend AIIMS' 5th convocation, visited the victim in the ICU earlier in the day. Accompanied by CM Majhi and Union Minister Dharmendra Pradhan, the President inquired about the treatment and interacted with the doctors.

Teacher, Principal Arrested

The accused teacher Samir Sahu and college Principal Dillip Kumar Ghosh were arrested by Sahadevakhunta Police Station. After his bail was rejected by the SDJM Court, Dilip Ghosh was sent to 14-day judicial custody. Cases are filed under 75(11)/78 (2), 79, 351 (2), 108, 3 (5).

A dedicated wing of the Odisha Crime Branch is now handling the probe.

Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC) and the National Commission for Women (NCW) have taken suo motu cognisance of the case. A separate investigation is being conducted by the Crime Against Women and Children Wing of Odisha's Crime Branch.

Odisha Governor Hari Babu Kambhampati has also sought a detailed report from officials.

According to the girl's family, the student had made multiple complaints against the teacher for harassment but received no concrete action from the authorities.

The Hindu

Watch: Odisha student dies after setting herself ablaze over ignored harassment complaints

Watch: Odisha student death case: All we know about

Watch: Odisha student dies after setting herself ablaze over ignored harassment complaints

The incident has sparked anger, political debate, and calls for urgent reform in how harassment complaints are handled at educational institutions.

https://www.thehindu.com/videos/watch-odisha-student-dies-after-setting-herself-ablaze-over-ignored-harassment-complaints/article69815575.ece

Updated - July 15, 2025 08:03 pm IST

A 20-year-old student from Fakir Mohan Autonomous College in Balasore, Odisha, has died after setting herself on fire on campus following alleged harassment by a senior faculty member. She reportedly made repeated complaints that went unaddressed. The incident has sparked anger, political debate, and calls for urgent reform in how harassment complaints are handled at educational institutions. The Odisha government has ordered all colleges to ensure they have functioning Internal Complaints Committees. Opposition leaders have demanded a judicial inquiry, while the National Human Rights Commission and the National Commission for Women have taken note. Meanwhile, the teacher accused of harassment and the college principal have both been arrested.

Script & Presentation: Aniket Singh Chauhan

Editing:Tayyab Hussain S M

News18 Hindi

Balasore Sexual Harassment Case: बालासोर की बेटी की क्यों गई जान, किसके कारण आत्मदाह; जानिए क्या है पूरा कांड?

https://hindi.news18.com/news/nation/indian-railways-line-construct-48-tunnels-and-bridge-higher-than-qutub-minar-sairang-to-bairabi-mizoram-line-9401086.html

Written by: संतोष कुमार

Agency:News18Hindi

Last Updated:July 15, 2025, 08:58 IST

Balasore Sexual Harassment Case: ओडिशा के बालासोर में यौन उत्पीड़न पीड़िता की AIIMS में इलाज के दौरान मौत पर बवाल मचा हुआ है. आरोपी प्रोफेसर समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रिंसिपल को भी निलंबित क...और

हाइलाइट्स

पीड़िता की AIIMS में इलाज के दौरान मौत हुई.

आरोपी प्रोफेसर समीर कुमार साहू गिरफ्तार.

मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का वादा किया.

Balasore Sexual Harassment Case: ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की एक 20 वर्षीय बीएड छात्रा की आत्मदाह के प्रयास के बाद इलाज के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भुवनेश्वर में मौत हो गई. यह घटना यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों और कॉलेज प्रशासन की कथित लापरवाही से जुड़ी है. इसको लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है. विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है.

क्या है पूरा मामला?

छात्रा ने कॉलेज के शिक्षा विभाग के प्रमुख (HoD) समीर कुमार साहू पर यौन उत्पीड़न और अकादमिक अंकों में हेरफेर की धमकी देने का आरोप लगाया था. उसने कई बार कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (ICC), प्रिंसिपल और उच्च शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. एक जुलाई से छात्रा ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना शुरू किया था, जिसमें वह और अन्य छात्र साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. अपनी शिकायत को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी आपबीती साझा की थी. इसमें उसने लिखा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिला, तो वह आत्महत्या कर लेगी. उसने मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्थानीय सांसद और जिला प्रशासन को भी टैग किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

आत्मदाह की नौबत क्यों?

12 जुलाई को हताशा के चरम पर पहुंचकर छात्रा ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली. इस दौरान एक साथी ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसके कारण वह भी जल गया. सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी घटना कैद हो गई. छात्रा को 90-95 फीसदी जलने की स्थिति में पहले बालासोर जिला अस्पताल ले जाया गया. उसके बाद उसे AIIMS भुवनेश्वर में शिफ्ट किया गया. AIIMS के बर्न सेंटर ने बताया कि उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और 14 जुलाई की रात 11:46 बजे उसने दम तोड़ दिया.

क्या पुलिस ने कार्रवाई की?

घटना को लेकर भारी आक्रोश के बीच ओडिशा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं. आरोपी प्रोफेसर समीर कुमार साहू को 12 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और 75(1)(iii) (यौन उत्पीड़न) के तहत गिरफ्तार किया गया. कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को प्रशासनिक लापरवाही के लिए निलंबित कर सोमवार को गिरफ्तार किया गया. उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल के निलंबन आदेश में कहा कि उन्होंने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामले को ठीक करने में विफल रहे. लेकिन, ये एक्शन समय रहते क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल उठने लगा हैं.

क्यों मचा है हंगामा?

इस घटना ने ओडिशा में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है. BJD कार्यकर्ताओं ने AIIMS भुवनेश्वर में शव को पोस्टमॉर्टम सेंटर ले जाने के दौरान विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि छात्रा को हर स्तर पर न्याय से वंचित किया गया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और तीन दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है.

माझी सरकार ने क्या किया?

मुख्यमंत्री माझी ने AIIMS में छात्रा के परिवार और चिकित्सकों से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने X पर लिखा- मैं इस घटना से गहरे दुख में हूं. दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री प्रवति परिदा ने भी परिवार से मुलाकात की और कहा कि डॉक्टरों ने तीन दिन तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हम उसे नहीं बचा सके. उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को 24 घंटे के भीतर आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया है.

Ukhrul Times

Nagaland Govt Moves to Enroll Children Involved in Begging Into Schools Following NHRC Advisory

https://ukhrultimes.com/nagaland-govt-moves-to-enroll-children-involved-in-begging/

July 15, 2025

Kohima, July 15: Protecting the rights of underprivileged children, the Directorate of School Education, Government of Nagaland, has issued an official advisory to identify and enroll children involved in begging into government schools. The notification, dated June 17, 2025, follows the advisory issued by the National Human Rights Commission (NHRC) for the protection and rehabilitation of impoverished, uneducated children, women, and differently-abled individuals engaged in begging.

The advisory, signed by the Principal Director, Shashank Pratap Singh, has called upon members of NGOs, municipal/town/village councils, churches, student unions and the general public to report details of such children to the Child Helpline 1098 enabling their enrollment in the nearest government schools.

The Department of School Education specifically seeks to identify out-of-school children aged 6–14 years who are not enrolled or have dropped out of school before completing elementary education, including those found begging.

It also seeks to identify children aged 3–6 years whose parents are engaged in begging and are not enrolled in pre-school, Anganwadi, or Balvatika centers.

All District Education Officers (DEOs), Sub-Divisional Education Officers (SDEOs), and Senior SDEOs under Zunheboto district have been instructed to coordinate with the concerned District Child Protection Units and Child Welfare Committees to facilitate the admission of such children as per the provisions of the Right to Education Act, 2009.

(Newmai News Network)

Nagaland Tribune

Identify & enroll children involved in begging into schools: Govt

https://nagalandtribune.in/identify-enroll-children-involved-in-begging-into-schools-govt/

NTN | July 15, 2025

In a significant move aimed at protecting the rights of underprivileged children, the Directorate of School Education, Government of Nagaland, has issued an official advisory to identify and enroll children involved in begging into government schools.

The notification, dated 17th June 2025, follows the advisory issued by the National Human Rights Commission (NHRC) for the protection and rehabilitation of impoverished, uneducated children, women, and differently-abled individuals engaged in begging.

The advisory, signed by the Principal Director, Shashank Pratap Singh, IAS, has called upon members of NGOs, Municipal/town/village councils, churches, student unions and the general public to report details of such children to the Child Helpline 1098 enabling their enrollment in the nearest government schools.

The Department of School Education specifically seeks to identify:

Out-of-school children aged 6–14 years who are not enrolled or have dropped out of school before completing elementary education, including those found begging.

Children aged 3–6 years whose parents are engaged in begging and are not enrolled in pre-school, Anganwadi, or Balvatika centers.

All District Education Officers (DEOs), Sub-Divisional Education Officers (SDEOs), and Senior SDEOs under Zunheboto district have been instructed to coordinate with the concerned District Child Protection Units and Child Welfare Committees to facilitate the admission of such children as per the provisions of the Right to Education Act, 2009.

EAST MOJO, Online, 16.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

East Mojo

Nagaland govt issues advisory for school enrollment of begging children

The notification comes in response to an advisory issued by the National Human Rights Commission (NHRC) aimed at protecting and rehabilitating impoverished children, women, and differently-abled individuals engaged in begging.

https://eastmojo.com/nagaland/2025/07/15/nagaland-govt-issues-advisory-for-school-enrollment-of-begging-children/

by Medolenuo Ambrocia 6 hours ago

Kohima: In a significant step to safeguard the rights of underprivileged children, the Directorate of School Education, Government of Nagaland, has issued an official advisory directing the identification and enrollment of children involved in begging into government schools.

The notification, dated June 17, 2025, comes in response to an advisory issued by the National Human Rights Commission (NHRC) aimed at protecting and rehabilitating impoverished children, women, and differently-abled individuals engaged in begging.

As per an official update, the order, signed by Principal Director Shashank Pratap Singh, IAS, called upon NGOs, municipal, town and village councils, churches, student unions, and the general public to report details of such children to the Child Helpline 1098. The department will then ensure their enrollment in the nearest government schools.

The Department of School Education aims to identify out-of-school children aged 6 to 14 who are not enrolled or who have dropped out before completing elementary education, including those found begging.

It also seeks to reach children aged 3 to 6 whose parents are engaged in begging and are not enrolled in pre-school, Anganwadi, or Balvatika centers.

Accordingly, all District Education Officers (DEOs), Sub-Divisional Education Officers (SDEOs), and Senior SDEOs have been instructed to coordinate with the concerned District Child Protection Units and Child Welfare Committees to facilitate the admission of such children under the provisions of the Right to Education Act, 2009.

INDIA TODAY NE, Online, 16.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

India TodayNE

Nagaland launches drive to rescue children from begging, ensure school enrollment

Nagaland launches a drive to rescue children from begging and ensure their education. The initiative aims to protect vulnerable children and promote their development through school enrolment

https://www.indiatodayne.in/nagaland/story/nagaland-launches-drive-to-rescue-children-from-begging-ensure-school-enrollment-1245154-2025-07-15

India TodayNE | Jul 15, 2025, Updated Jul 15, 2025, 8:15 PM IST

The Nagaland government has launched a comprehensive initiative to identify and enroll children involved in begging into government schools, marking a crucial step toward breaking the cycle of poverty and exploitation.

Following directives from the National Human Rights Commission, the Directorate of School Education issued an official advisory on June 17, 2025, targeting children aged 3-14 years who are either begging themselves or whose parents engage in begging activities.

Principal Director Shashank Pratap Singh has mobilised a wide network of stakeholders, including NGOs, municipal councils, churches, and student unions, to report such cases to the Child Helpline 1098. The initiative specifically focuses on two vulnerable groups: out-of-school children aged 6-14 years who have either never enrolled or dropped out before completing elementary education, and younger children aged 3-6 years whose parents are engaged in begging.

The directive comes as part of a broader effort to rehabilitate impoverished, uneducated children, women, and differently-abled individuals engaged in begging across the state. District Education Officers, Sub-Divisional Education Officers, and their senior counterparts have been instructed to work closely with District Child Protection Units and Child Welfare Committees to facilitate admissions under the Right to Education Act, 2009.

The Point.gm

IDEA trains NHRC staff on project management

https://thepoint.gm/africa/gambia/national-news/idea-trains-nhrc-staff-on-project-management

Jul 15, 2025, 12:03 PM | Article By: Ismaila Sonko

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) recently concluded a four-day training program on project management for staff of the National Human Rights Commission (NHRC).

The training, held under the EU-funded CODE project, was aimed at building the capacity of NHRC staff on project planning, delivery, resource mobilisation, and proposal development; key areas for ensuring effective and impactful project implementation.

At the closing ceremony, Mrs. Jainaba Faye, Head of Country Office for International IDEA, highlighted the importance of the training in enhancing the NHRC's ability to design and manage projects that promote human rights.

"Over the past four days, we have come together with a shared purpose- to strengthen the Commission's ability to deliver well-organized, sustainable projects that advance the cause of human rights," she said. "This training was not just about learning tools and methods—it was about transformation, and it's been inspiring to witness that process among all of you."

The training, Mrs Faye further explains, was carefully structured around four pillars aligned with the operational needs of the NHRC, focusing on both individual skills and institutional performance.

She thus encouraged participants to apply the knowledge gained to real-world challenges facing the Commission, especially in defending the rights of marginalised communities.

"As members of the Human Rights Commission, you carry a profound responsibility. Project management is not just about meeting deadlines or staying on budget. It is about translating a vision of justice and equity into tangible results."

Raphaël Brigandi, Deputy Head of Mission at the European Union Delegation to The Gambia, also highlighted that effective project delivery requires more than technical competence. It must be rooted in strong values and a strategic mindset.

"Project management is not merely a checklist of tasks. It demands clarity of purpose, integrity, and a commitment to delivering real change," Brigandi stated.

"Through the EU-funded CODE project, and in partnership with International IDEA, we are proud to support the NHRC in strengthening its capacity to deliver results that reflect human rights principles and meet the needs of Gambian citizens."

He praised the professionalism and potential of the NHRC team, urging them to continue growing in their roles and contributing to a culture of accountability, transparency, and independence in the country's human rights landscape.

The chairman of the National Human Rights Commission, Mr. Emmanuel D. Joof, equally advised his staff to make the best use of the training while thanking the partners for the initiative.

The Assam Tribune

AIUDF accuses govt of being partisan & demands halt to eviction in Assam

It added that the govt has violated court orders relating to food & alternative accommodation arrangement for those affected

https://assamtribune.com/assam/aiudf-accuses-govt-of-being-partisan-demands-halt-to-eviction-in-assam-1584827

By The Assam Tribune - 15 July 2025 12:58 PM

Guwahati, July 15: Opposing the ongoing eviction drives in various districts of Assam, the All India United Democratic Front (AIUDF) accused the State government of acting in a partisan manner and demanded a halt to such actions.

AIUDF general secretary and MLA Dr Rafiqul Islam also charged the State government and the Forest department of violating court orders relating to the arrangement of food and alternative accommodation for the people who have been affected by the evictions.

“The eviction drives have targeted landless Assamese and Indian citizens. Their houses have been bulldozed and they have been forced into the streets. Thousands of families have been affected by the eviction drives carried out in recent months. This is shameful for a welfare State. The government’s primary duty is to provide shelter to the citizens. In contrast, here in Assam, the houses built by poor people with their blood and sweat have been bulldozed by the government,” Dr Islam said.

He accused the State government of failing to fulfill its responsibilities.

“Instead of conducting a survey and giving them land, the government is evicting such people. And they are doing it during the court holidays. Still many affected people have approached the vacation bench of the Gauhati High Court. But evictions are being carried out even as the cases are going on. Among the people whose houses were demolished are those who have their names in the NRC of 1951 and the voters’ list of 1965. The court has asked the government to make arrangement for food and alternative accommodation for the eviction-affected people but has the government done so? It is contempt of court. The government is now claiming that people are being evicted from forest lands. But if these are forest lands, then how are paved roads, water supply under Jal Jeevan Mission and primary health centres present in such places? People have been paying land revenue also,” Dr Islam said.

He added, “We urge the court to take up a suo motu case against the State government and Forest department. We also request the Supreme Court and the **National Human Rights Commission** to take note of the issue. The affected citizens must get justice. Poor Muslims are being targeted. The government must first provide adequate rehabilitation and only then undertake eviction.”

- By Staff Reporter

Dainik Bhaskar

जीएनई मायोपैथी रोगियों के मुद्दे पर चार सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश दिए

पाली 5 घंटे पहले

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/pali/news/instructions-given-to-take-action-on-the-issue-of-gne-myopathy-patients-within-four-weeks-135457176.html

पाली| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देशित किया है कि वह जीएनई मायोपैथी रोगियों के मुद्दे पर चार सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। नहीं तो पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत बाध्यकारी कार्रवाई की जा सकती है। आयोग को पाली के डॉ. वैभव भंडारी ने बताया कि जीएनई मायोपैथी दुर्लभ और प्रगतिशील आनुवंशिक रोग है। इसे राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 से बाहर रखा गया है।

Navbharat Times

भारतीय महिला की फांसी टली! निमिषा प्रिया के लिए राजस्थान के चर्मेश इस तरह बने मसीहा

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/kota/indian-nurse-nimisha-priya-execution-postponed-in-yemen-relief-after-charmesh-sharmas-plea/articleshow/122527272.cms

Edited by: खुशेंद्र तिवारी•Contributed by: अर्जुन अरविंद|Lipi•16 Jul 2025, 12:00 am

Subscribe

Nimisha Priya news: यमन में भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को होने वाली फांसी टल गई है। बूंदी के चर्मेश शर्मा की याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने हस्तक्षेप किया। शर्मा ने इसे मानवता की जीत बताते हुए, निमिषा की फांसी रद्द होने तक सरकार से कूटनीतिक प्रयास जारी रखने की मांग की है।

कोटा: यमन में भारतीय मूल की महिला नर्स निमिषा प्रिया को कल 16 जुलाई को दी जाने वाली फांसी टल गई। इस मामले में भारतीय महिला को बचाने के लिये भारत के राष्ट्रपति सचिवालय में गुहार लगाई गई थी। इसे लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास बूंदी के चर्मेश शर्मा ने याचिका दायर की थी। उन्होंने महिला की फांसी टल जाने को मानवता की जीत बताया है। शर्मा ने इस मामले में निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द होने तक भारत सरकार से कूटनीतिक व वैधानिक प्रयास जारी रखने की मांग की है।

16 जुलाई को दी जानी थी फांसी

केरल की रहने वाली भारतीय महिला निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन की सेना जेल में फांसी दी जानी थी। इस मामले में भारतीय महिला को बचाने के लिये विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने 11 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की थी। वही भारतीय विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी महिला को बचाने की गुहार लगायी थी।

विदेश मंत्रालय ने दिये थे कार्यवाही के निर्देश

भारतीय महिला निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिये चर्मेश शर्मा की शिकायत पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सोमवार 14 जुलाई को यमन भारतीय दूतावास को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।चर्मेश शर्मा ने भारतीय महिला को फांसी से बचाने के लिये विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवाई थी।

पूरे देश के लोग प्रार्थना कर रहे थे

भारतीय महिला निमिषा प्रिया की फांसी टलने पर चर्मेश शर्मा ने कहा कि यह मानवता की जीत हुई है। पूरे देश के लोग निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिये प्रार्थना कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के साथ सभी की प्रार्थना की शक्ति से ही भारतीय महिला निमिषा प्रिया का जीवन बच पाया है।

NAVBHARAT TIMES, Online, 16.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

यह है पूरा मामला

चर्मेश शर्मा ने कहा कि निमिषा प्रिया रोजगार के लिए यमन गई थीं। यमन में 2016 में उनका पासपोर्ट उनके क्लिनिक के पार्टनर यमन नागरिक के द्वारा छीन लिया गया था। वह भारतीय महिला को जबरन वहीं पर रखना चाहता था और भारत नहीं आने दे रहा था। इसके बाद अपना पासपोर्ट व दस्तावेज वापस लेने के लिए निमिषा प्रिया ने यमन नागरिक को नशे का इंजेक्शन लगाया था। नशे की ओवरडोज से यमन नागरिक की मौत हो गई थी। इसके बाद पिछले 8 साल से ज्यादा समय से निमिषा प्रिया यमन की सना जेल में हैं। यमन के कोर्ट ने निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी देने की सजा सुनाई। उस पर वहां की सरकार ने अंतिम रूप से मुहर भी लगा दी थी। लेकिन फिलहाल अब सजा टली है।